

1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1952}

THE UTTAR PRADESH CHILDREN ACT, 1951**[U.P. ACT NO. 1 OF 1952]**1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1952 ई०}

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 26 सितम्बर, 1951 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 सितम्बर, 1951 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 5 फरवरी, 1952 ई० को स्वीकृति प्रदान की और असाधारण गजट में दिनांक 19 फरवरी, 1952 ई० को प्रकाशित हुआ।}

बालकों के निरोधन (कस्टडी), अभिरक्षण (प्रोटेक्शन), इलाज और पुनर्वासन संबंधी ई०

ऐक्ट सं० 8, 1897

निधि को संहत और संशोधित करने के लिये तथा अवयस्क अपराधियों के निरोधन, अभियोग की सुनवाई और दण्ड की व्यवस्था के लिये तथा उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

बालकों के निरोधन, अभिरक्षण, इलाज और पुनर्वासन तथा अवयस्क अपराधियों के निरोधन, अभियोग की सुनवाई और दण्ड तथा उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन के लिये रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 में संशोधन की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

प्रस्तावना

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1**प्रारम्भिक**

1—(1) इस अधिनियम का नाम 1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम होगा।
और

संक्षिप्त नाम, प्रसार
प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह धारा और धारा 77 तुरन्त लागू हो जायेगी ।

(4) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति² द्वारा यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के शेष उपबन्धों में सब या कोई किसी स्थानीय क्षेत्रों में, ऐसे दिनांक या दिनाकों पर जो उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, प्रचलित होंगे ।

(5) किसी स्थानीय क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ हो जाने पर भी राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा बालकों के अथवा अवयस्क अपराधियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी व्यापार (आपरेशन) से मुक्त कर सकती है ।

2—विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(1) “अनुमोदित स्कूल” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संस्थापित या प्रमाणित स्कूल से होगा ;

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 23 सितम्बर, 1950 ई० का सरकारी गजट देखिये। 2. इस अधिनियम के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित फुट नोट देखें ।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम} {धारा 2}

(2) “वेश्यालय” का तात्पर्य ऐसी इमारत या स्थान या उसके किसी भाग से है, जो एकाधिकार (सिंगिल टेनामेन्ट) रूप में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से एक से अधिक व्यक्तियों के उपयोग के निमित्त अधिवासित हो या भाड़े पर दिया गया हो अथवा जिसके विषय में उक्त प्रकार से अधिवासित होने या भाड़े पर देने का उद्देश्य हो ;

(3) “मुख्य निरीक्षक” का तात्पर्य ऐसे मुख्य निरीक्षक से है, जो धारा 50 के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

(4) “बालक” का तात्पर्य 16 वर्ष से कम अवस्था के व्यक्ति से है ;

(5) किसी बालक अथवा अव्यस्क अपराधी की देखरेख के संबंध में “उपयुक्त व्यक्ति” के अन्तर्गत दरिद्र बालकों के लेने या उनकी रक्षा के निमित्त अथवा बालकों के प्रति कूरता के निवारणार्थ संस्थापित समिति, संस्था या निगम संस्था (वाडी कारपोरेट) भी है, उसकी देखभाल में रखे गये किसी बालक या अव्यस्क अपराधी का उसके जन्मधर्म के अनुसार पालन-पोषण करने का या करने में सुविधायें देने का कार्यभार लेती है;

(6) किसी बालक अथवा अव्यस्क अपराधी के संबंध में “संरक्षक” के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो बालक या अव्यस्क अपराधी के संबंध में या उसके विषय में किसी कार्यवाही की अपेक्षा (कागिजेंस) रखने वाले न्यायालय के मत से समय विशेष पर उक्त बालक या अव्यस्क अपराधी पर वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखता हो ;

(7) “अव्यस्क न्यायालय” का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है, जो धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किया गया हो और उसके अन्तर्गत वह न्यायालय भी है, जो उक्त धारा की उपधारा (2) में व्यवस्थित रीति से कार्य करता हो ;

(8) “सार्वजनिक स्थान” के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क, उद्यान (गार्डन) या रेलवे स्टेशन और कोई भूमि, इमारत या भूग्राहादि (प्रीमिसेज) भी है जहां समय विशेष पर जनता का प्रवेश शुल्क पर अथवा बिना शुल्क होता हो अथवा उक्त प्रवेश की आज्ञा हो ;

(9) “रक्षास्थान” का तात्पर्य किसी ऐसे पर्यवेक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम) या अनाथाश्रम, चिकित्सालय या किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान या संस्था से है, जिसका अधिवासी (आक्यूपायर) या प्रबन्धक अस्थायी रूप से बालक को लेने को तैयार हो अथवा जहां पर ऐसे पर्यवेक्षण गृह (आब्जर्वेशन होम) या अनाथाश्रम, चिकित्सालय या किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान या संस्था किसी पुरुष बालक के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसा पुलिस थाना भी जहां बालकों को वयस्क अपराधियों से पृथक सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो या हो सकती हो ;

(10) “सुधार अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो धारा 34 के अधीन नियुक्त किया गया हो ;

(11) “नियत” का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है ;

(12) “मार्ग” (स्ट्रीट) के अन्तर्गत कोई भी राज मार्ग और कोई भी सार्वजनिक पुल, सड़क, गली, पगडंडी, चौकोर स्थान, प्रांगण, तंग गली या मार्ग है, चाहें वे आम रास्ते हो या न हों ; और

(13) “अव्यस्क अपराधी” का तात्पर्य किसी ऐसे बालक से है, जिसके विषय में यह निर्णय हुआ है कि उसने ऐसा अपराध किया है, जिसका दण्ड निर्वासन या कारावास है ।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 3}

अध्याय 2

बालक, जिसकी देखभाल अथवा रक्षा की आवश्यकता है

3— (1) कोई पुलिस अधिकारी या नियत रीति से इस हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति की

देखभाल अथवा रक्षा

किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के सामने ला सकता है, जो देखने में 16 वर्ष से कम अवस्था वाले
का हो, और—

आवश्यकता रखने

अधिकार

बालकों के विषय में
न्यायालय का

(क) जो बेकार घूमता हुआ पाया जाय और जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान या जीविका के व्यक्त साधन न हो, या जो बेकार घूमता हुआ पाया जाय और जिसके माता-पिता या संरक्षक न हों या जिसके ऐसे

माता-पिता या संरक्षक हो जो उसकी उचित देखभाल और संरक्षकता न करते हों, वे पालन करने में अयोग्य हो ;

(ख) जो भीख मांगता हुआ या लेता हुआ पाया जाये, चाहे गाने बजाने, तमाशा करने या ब्रिकी के लिये अन्य प्रकार से किसी वस्तु को प्रस्तुत करने का बहाना हो या न हो या किसी मार्ग, भूगृहादि या स्थान में इस प्रकार भीख मांगने या दान प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान में पाया जाये, या

(ग) जो निराश्रय (डैस्टीट्यूट) पाया जाये और जिसके माता-पिता या जीवित माता या पिता और अवैध (इल्लेजिटिमेट) बालक के संबंध में, जिसकी माता या दूसरा संरक्षक निर्वासन या कारावास का दण्ड भोग रहा हो या रहे हों, या

(घ) जो ऐसे माता या पिता या संरक्षक की देखभाल में हो, जो अपराधिक या मद्यसेवन के अभ्यास के कारण बालक की देखभाल के लिये अनुपयुक्त हो या जो स्वभाव ही से बालक की देखभाल में प्रमाद करता हो या उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता हो; या

(ङ) किसी विख्यात चोर की संगत करता हो; या

(च) जो ऐसे मकान में या मकान के किसी ऐसे भाग में रह रहा, ठहरा या निवास करता हो, जिसे कोई वेश्या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करती हो या जो किसी अन्य प्रकार से किसी ऐसी परिस्थिति में हो, जो बालक के फुसलाये जाने या व्यभिचार में पड़ने का कारण या प्रोत्साहक बन सकती है या उसके लिये अनुकूल पड़ सकती है, या

(छ) जिसके अन्यथा कुसंग में पड़ जाने या नैतिक पतन के भय से आरक्षित होने या अपराधी जीवन प्रारम्भ करने की संभावना हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी बालक का ऐसा पिता या माता या संरक्षक हो, जो वास्तव में बालक के ऊपर अवधान या नियंत्रण रखता हो तो उपयुक्त व्यक्ति या अधिकारी, जो भी हो, पहले पहल निकटतम न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करेगा और ऐसा न्यायालय ऐसा माता या पिता या संरक्षक से ऐसी मांग कर सकता है कि वह कारण बताये कि कार्यवाही चालू रहने के काल में उक्त बालक उसकी देखभाल से क्यों न हटा लिया जाये और ऐसे बालक की संरक्षकता के लिये तथा उसको न्यायालय में उपस्थित करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति या अधिकारी प्रतिभू (स्योरिटीज) लेकर यह अनुमति दे सकता है कि बालक अपने माता-पिता अथवा संरक्षक के अवधान (चार्ज) में रहता रहे या यह आज्ञा दे सकता है कि जब तक कि न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई आज्ञा न दें, उसको अलग रखा जाये ।

स्पष्टीकरण— ऐसा बालक उपधारा (च) के वर्णन के अन्तर्गत नहीं समझा जायेगा, जो अपनी माता के, जो वेश्या हो, मकान में ठहरा या निवास कर रहा हो ।

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 4-6]

(2) यदि न्यायालय को जांच के बाद इस बात का सन्तोष हो जाये कि उक्त व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों में वर्णित बालक है और उस बालक पर कार्यवाही करना आवश्यक है, तो न्यायालय—

(क) उसको किसी अनुमोदित स्कूल में या ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में भेजने की आज्ञा दे सकता है, जो चाहे वह उसका संबंधी हो या न हो, जब तक उक्त बालक 18 वर्ष का न हो जाये या उससे कम अवधि के उतने समय के लिये जो निश्चित कर दिया जाये, उसकी देखभाल करने के लिये तैयार हो, या

(ख) उसके माता, पिता या संरक्षक को यदि कोई हो, यह आज्ञा दे सकता है कि ऐसी निश्चित अवधि के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, बालक की उचित देखभाल या संरक्षकता का मुचलक (रिफाग्निजेन्स बांड) दे, या

(ग) कोई अन्य आज्ञा दिये बिना या पूर्ववर्ती दो अनुच्छेदों में से किसी के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा के अतिरिक्त यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह ऐसी निश्चित अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, किसी सुधार अधिकारी या

न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये।

(3) यदि जांच करने के बाद न्यायालय को यह सन्तोष हो जाये कि वह बालक किसी ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा से या उसके लाभ के लिये भिक्षावृत्ति करता रहा है, जो भिक्षुक बालकों को रखने का व्यवसाय करता हो, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकता है और उसके कथन को सुनने के बाद यह आदेश दे सकता है कि वह कार्यवाही के खर्चे के संबंध में ऐसी धनराशि दे, जो 25 रुपये से अधिक न हो और ऐसा वाद-व्यय (कास्ट) कोड आफ किमिनल प्रोसोजर, 1898 के अनुबन्धों के अधीन वसूल किया जा सकेगा, मानो वह जुर्माना (फाइन हो)।

4— ऐसे बालक के संबंध में, जिसका साधारण निवास-स्थान उस न्यायालय के, अधिक्षेत्र के

न्यायालय के

जिसके सम्मुख वह उपस्थित किया जाता है, अधिक्षेत्र के बाहर हो, उक्त न्यायालय को रखने

बाहर, निवास स्थान

अधिकार है, यदि उसे उचित जांच के बाद इस बात का संतोष हो जाये कि ऐसा करना उक्त

वाले बालक का स्थान को भेजा

जाना उपपन्न है, कि वह उस बालक को उसके संबंधी या किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज दे, जो उसे बुलाकर अपनी उचित देखरेख और नियंत्रण में रखने के लिये उपयुक्त और तैयार हो।

5— जब बालक के पिता, माता या संरक्षक न्यायालय के सामने इस आशय कि के

बालक का न्यायालय

प्रार्थना करे कि वह बालक को नियंत्रित रखने में असमर्थ है और बालक किसी अनुमोदित करने का

सम्मुख उपस्थित अधिकार

स्कूल में भेज दिया जाये तो न्यायालय यदि उसे जांच के बाद यह सन्तोष हो जाये कि बालक के प्रति इस प्रकार की कार्यवाही करना उपपन्न है और यह कि पिता या माता या संरक्षक इसके आगामी परिणाम को समझता है, उस बालक को किसी ऐसे स्कूल में भेजने का या, ऐसी निश्चित अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, किसी सुधार अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखने का आदेश दे सकता है।

6— जब इस अध्याय के अधीन के होने वाली कार्यवाही की किसी अवस्था पर अन्तरिम

न्यायालय द्वारा

न्यायालय बालक के हित में ऐसा करना उपपन्न समझे तो वह किसी रक्षा-स्थान में बालक के निरोध या लगातार निरोध के लिये या उसको किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने के लिये, जो उसकी देखभाल करने को तैयार हो, आदेश दे सकता है।

आदेश

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम} 7-9}

{धारा

अध्याय 3

बालकों के प्रति अपराध और उसका निवारण

7— (1) बालक पर वास्तविक अवधान (चार्ज) या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति यदि कूरता का

बालकों के प्रति

उसे ऐसी रीति से, जिससे बालक को अनावश्यक कष्ट हो तो उसके स्वास्थ्य को आघात पहुँचें, परित्याग करें, अरक्षित रख या जानबूझ कर उसकी देखभाल में प्रमाद करें या उस पर प्रहार करें, या उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी प्रकार के भी कारावास का दण्ड ऐसे समय के लिये दिया जा सकेगा, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माना, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, किया जा सकेगा, अथवा कारावास और जुर्माना के दोनों ही दण्ड दिये जा सकेंगे।

दण्ड

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये स्वास्थ्य की क्षति के अन्तर्गत दृष्टि या श्रुति को आघात या उसका ह्रास और शरीर के किसी अंग या इंद्रिय (आर्गेन) को पहुँचा आघात या मानसिक विक्षिप (मेंटल डिरेजमेन्ट) है और जिस माता-पिता या अन्य व्यक्ति पर बालक के पोषण का विधिक दायित्व हो, वह यदि बालक के लिये पर्याप्त भोजन, कपड़ा, चिकित्सा प्रबन्ध या निवास की व्यवस्था जान-बूझ कर न करें तो उसके विषय में यह समझा जायेगा कि उसने बालक की देखभाल में ऐसी रीति से प्रमाद किया है, जिसके उसके स्वास्थ्य को आघात पहुँचने की सम्भावना है।

(3) यद्यपि किसी अन्य व्यक्ति ने वास्तविक कष्ट अथवा स्वास्थ्य के आघात का निवारण कर दिया हो तो भी कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के संबंध में दोषी ठहराया जा सकता है (में बी कनविकटेड) ।

(4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जाये कि बालक को दण्ड देने का, जो अधिकार उसके ऊपर विधिक नियंत्रण या अवधान रखने वाले पिता, माता, शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है, उससे छीनती या प्रभावित करती है।

8— (1) जो व्यक्ति अपने लाभ के लिये किसी बालक को किसी मार्ग, भुगृहादि या मंगवाना

बालक के भीख

स्थान में जाकर भीख मांगने अथवा दान प्राप्त करने के या लोगों को दान देने के लिये प्रेरित की

या उसे भीख मांगने

करने के निमित्त, चाहे गाने बजाने तमाशा करने या किसी वस्तु को बिक्री करने का या अन्य प्रकार का बहाना हो या न हो, प्रेरित करें या बालक के ऊपर वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति बालक को ऐसा करने की अनुमति दे तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी प्रकार के भी कारावास का, जो तीन मास की अवधि तक हो सकता है या जुर्माने का दण्ड जो एक सौ रुपये का हो सकता या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे।

अनुमति देना

(2) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी जिले या स्थान में, जहां पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो, किसी जन वर्ग को इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय होने से मुक्त कर सकती है।

9— यदि कोई व्यक्ति ऐसे बालक पर अवधान (चार्ज) रखते हुये, जो देखने में सात रखते

बालक पर अवधान

वर्ष से कम अवस्था का हो, किसी सार्वजनिक मार्ग पर या अन्य सार्वजनिक स्थान में, चाहें वह होने पर

समय मद्याभिभूत

कोई इमारत हो या नहीं, नशे में पाया जाये और यदि ऐसा व्यक्ति नशे के कारण बालक की उचित देखभाल करने में असमर्थ हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि बालक उस अवस्था से कम हो तो उस व्यक्ति को पचास रुपये तक जुर्माने का दण्ड किया जा सकता है ।

दण्ड

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे बालक को सात वर्ष से कम का

बालक की अवस्था

अवस्था का समझा जायेगा, जिसके संबंध में, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई बात सिद्ध न हो जाये, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह उस अवस्था से कम का है ।

अनुमान

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 10-15]

10— जो कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थान में, वह द्रव या

बालक को मादक

स्थान चाहे इमारत हो या न हो, किसी बालक को उचित योग्यता प्राप्त चिकित्सक की आज्ञा पर

नशे का पानक देने

के बिना या अस्वस्थता या किसी अविलम्ब कारण की स्थिति के न रहते हुये, मादक द्रव्य या मादक तरल पदार्थ दिलाने या पान कराये तो उसे पचास रुपये तक जुर्माने का दण्ड दिया जा सकेगा ।

दण्ड

11— यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ, जो देखने में बारह वर्ष से कम सिगरेट

बालकों के हाथ

आयु का हो, सिगरेट, सिगरेट का कागज (सिगरेट पेपर), बीड़ी तम्बाकू, या धूम्रपान का मिश्रण दण्ड

इत्यादि बेचने का

(स्मोकिंग मिक्सचर), चाहे वह उसके अपने ही उपयोग के लिये हो या न हो, बेचेगा, तो पहली बार अपराध करने पर उसे ऐसा अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा, जो पचीस रुपये से अधिक न होगा और दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर ऐसा अर्थदण्ड दिया जा सकेगा, जो एक सौ रुपये से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण— इस धारा और उसके ठीक बाद की धारा के प्रयोजनों के लिये “सिगरेट” शब्द में कागज में लपेटी हुई कटी तम्बाकू, तम्बाकू की पत्ती या ऐसे रूप में तैयार की हुई अन्य सामग्री का, जो धूम्रपान के लिये तत्काल प्रयोग में लाई जा सके, अन्तर्भाव होगा ।

12— पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि यदि किसी बालक को किसी मार्ग पुलिस

बालक के पास से

(स्ट्रीट) या सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करता हुआ पाय, तो उसके पास से बीड़िया, सिगरेट या धूम्रपान सम्मिश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर) छीन ले और इस प्रकार छीनी गई बीड़िया, सिगरेट धूम्रपान छीना या धूम्रपान सम्मिश्रण (स्मोकिंग मिक्सचर) राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और ऐसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह बालिकाओं को छोड़कर किसी भी बालक को जो इस प्रकार धूम्रपान करता हुआ पाया जाये, तलाशी लें ।

अभिकारी द्वारा बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू या का कोई सम्मिश्रण जाना

13— जो व्यक्ति, किसी बालक से कोई वस्तु निक्षेप (पान) के रूप में लेगा, चाहे वह (पान)

बालक से निक्षेप

वस्तु उस बालक ने स्वयं अपनी ओर से दी हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दी हो, दण्ड

ग्रहण करने पर

उसको दोनो में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे ।

14— चार वर्ष और सोलह वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालक पर वास्तविक में

बालक का वेश्यालय

अवधान या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को, जो उस बालक का वेश्यालय में रहने या आने-जाने दे या इस बात की अनुज्ञा दे, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे ।

रहते देना

15— (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके वास्तविक अवधान (चार्ज) का नियंत्रण में बनना

फुसलाने का कारण

अठारह वर्ष से कम आयु की कोई बालक लड़की हो, उस बालक लड़की को फुसलाये जाने देना

या उसे प्रोत्साहन

(सेडक्शन) {जिसके अन्तर्गत अनैतिक आचरण में प्रवृत्त होने के लिये दिया गया प्रलोभन (इन्ड्यूसमेन्ट) है} या व्यभिचार में पड़ने के लिये प्रेरणा करें या प्रोत्साहन दें, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस बालक लड़की का पति न हो या पति की दशा में बालक लड़की की अवस्था चौदह वर्ष से अधिक की न हुई हो, उसके साथ समागम (सेक्सुअल इन्टरकोर्स) करने के लिये प्रेरित या प्रोत्साहित करें, तो उसके दोषी ठहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे ।

आदि

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 16-19]

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने किसी बालक लड़की के फुसलाये जाने (सेडक्शन) के लिये प्रेरणा दी है या प्रोत्साहन दिया है या उसे अनैतिक आचरण करने में प्रवृत्त किया है, यदि उसने बालक लड़की को जानबूझ कर किसी वेश्या या किसी ज्ञात दुवृत्ति (आफ नोन-इम्मारल कैरेक्टर) व्यक्ति का संग करने की या उसकी नौकरी प्रारम्भ करने या करते रहने की अनुमति दी हो ।

16— यदि आरोप-पत्र मिलने पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि सोलह वर्ष से बहकाये

अवयस्क बालिकायें

कम अवस्था वाली किसी बालक लड़की के साथ उसके पिता, माता या संरक्षक द्वारा कूरता का आरक्षित

जाने के भय से

व्यवहार किया जा रहा है या यह कि ऐसी बालक लड़की के अपने पिता, माता या संरक्षक की कूरता

इत्यादि या उसके का व्यवहार

जानकारी या उसके अनजाने में फुसलाये जाने या व्यभिचार में पड़ने या वेश्यावृत्ति करने का भय है, तो न्यायालय ऐसे पिता, माता या संरक्षक को ऐसी बालक लड़की को समुचित देखरेख और पर्यवेक्षण करने के संबंध में निर्दिष्ट अवधि तक के लिये मुचलका देने का निर्देश करेगा ।

17— जो व्यक्ति, सोलह वर्ष से कम उम्र की बालक लड़की को फुसलायेगा या अनाचार

बहकाना या

उसके प्रति अनैतिक आचरण करेगा, उसे दोषी ठहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के माडेस्टी)

(आउट रेज आफ

कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे ।

18— (1) जो व्यक्ति, किसी बालक को प्रत्यक्षतः भूत कर्म (मीनियल एम्प्लायमेन्ट) के शोषण

बालक नौकरों का

लिये, या चिट्ठी (डाक), फैक्ट्री या दूसरे प्रकार के स्थापन (इस्टेब्लिशमेन्ट) में मजदूरी (एक्सप्लायट्स) उसकी मजदूरी रोकता है या उसकी कमाई पर अपना निर्वाह करता है, उसे दोषी ठहराये जाने पर एक हजार रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जायेगा ।

(2) जो व्यक्ति प्रत्यक्षतः किसी बालक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिये रखता हो, किन्तु उस बालक को इस प्रकार रखता हो, जिससे कि उसके फुसलाये जाने, उसके प्रति अप्राकृतिक अनाचार होने, उसके व्यभिचार या वेश्यावृत्ति में पड़ने या उसके साथ दूसरे प्रकार के अनैतिक आचरण होने का अवसर देता हो तो उसे दोषी ठहराये जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो एक हजार रुपये तक हो सकती है, दिया जायेगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

(3) जो व्यक्ति, उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट प्रकार से शोषित बालक के श्रम से जानबूझ कर लाभ उठाता हो, या जिसकी अनैतिक तृप्ति के लिये ऐसे बालक का उपयोग किया जाता हो, वह प्रवृत्तक (एवैटर) के रूप में दण्डनीय होगा ।

19— (1) कोई पुलिस अधिकारी जो सब इन्स्पेक्टर के पद से नीचे का न हो या स्थान में

बालक का रक्षा

नियत प्रकार से अधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे बालक को रक्षा-स्थान में ले जा सकता है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय या इण्डियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो या यह विश्वास किया जाता है कि ऐसा अपराध किया गया है या उसके किये जाने की संभावना है ।

निरोध

(2) जो बालक इस प्रकार रक्षा-स्थान में ले जाया गया हो, और कोई ऐसा बालक भी जो रक्षा-स्थान में शरण चाहता हो, वहां पर उस समय तक निरुद्ध किया जा सकता है, जब तक वह न्यायालय के सामने न लाया जा सके, किन्तु ऐसा निरोध, न्यायालय को विशेष आज्ञा के अभाव में, निरोध-स्थान से न्यायालय तक यात्रा में लगने वाला समय छोड़कर चौबीस घण्टे से अधिक का न हो और न्यायालय ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसका उल्लेख इसकी ठीक बाद में आने वाली उपधारा में किया गया है अथवा बालक के विषय में परिस्थिति के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही करा सकता है जब तक कि बालक विषयक उपर्युक्त किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के अपराध का अवधारण, उसके दोषी ठहराये जाने, उसके अवरोप या विमोचन द्वारा न हो जाये ।

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

{धारा 20}

(3) जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उपर्युक्त प्रकार का अपराध न्यायालय के सामने लाये गये बालक के संबंध में किया गया है या किये जाने की संभावना है और यह कि बालक के हित में यह उपपन्न है कि इस धारा के अधीन कोई आज्ञा दी जाये तो न्यायालय परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित यह आज्ञा दे सकता है कि जब तक जब कि अपराध करने वाले व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने के लिये समुचित समय व्यतीत न हो जाये तब तक उस बालक को निरोध और देखभाल में रखा जाये और यदि किसी व्यक्ति पर उस समय के भीतर आरोप लगा दिया जाये तो तब तक निरोध और देख-भाल में रखा जाय जब तक कि उस व्यक्ति के अपराध का अवधारण उसके दोषी ठहराये जाने, अवरोप या विमोचन द्वारा न हो जाये और दोषी ठहराये जाने की दशा में ऐसे और अधिक समय के लिए, जिसे दोषी ठहराने वाला न्यायालय निश्चित करें और जो एक मास से अधिक का न हो और यद्यपि कोई व्यक्ति उक्त बालक के निरोधन का दावा करें, ऐसे आदेश को कार्यान्वित किया जायेगा ।

20— (1) यदि बालक का वास्तविक अवधान या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से

न्यायालय की आज्ञा

को—

बालक का निस्तारण

(क) ऐसे बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन या इण्डियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के कारण दोषी ठहराया गया हो ; या

(ख) ऐसा अपराध करने के कारण विचार के लिये न्यायालय को भेजा गया हो ; या

(ग) ऐसे बालक के प्रति शान्ति बनाये रखने के लिये किसी न्यायालय द्वारा उससे मुचलका लिया गया (बाउन्ड ओवर) हो; तो

वह न्यायालय या तो उस समय जब उक्त व्यक्ति इस प्रकार दोषी ठहराया जाये या विचारार्थ भेजा जाये या उससे मुचलका लिया जाये या किसी अन्य समय पर यह आज्ञा दे सकता है कि वह बालक उक्त प्रकार से दोषी ठहराये गये, विचारार्थ भेजे गये या मुचलका देने वाले व्यक्ति के अवधान या नियंत्रण से निकाल लिया जाये और बालक के किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की, जिसके नाम का निदेश न्यायालय करेगा, देखभाल में (यदि ऐसा संबंधी या अन्य व्यक्ति ऐसी देखभाल करने के लिये उद्यत हो) उस अवधि तक, जब तक वह अठारह वर्ष का न हो जाये या उससे कम किसी अवधि तक रखा जाये और वह न्यायालय या समान अधिकक्षेत्र का कोई अन्य न्यायालय या तो स्वतः या किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर आज्ञा देकर समय-समय पर उक्त आज्ञा का नवीकरण (रिन्थूवल) कर सकता है या उसको परिवर्तित कर सकता है या उसका प्रतिसंहरण (रिवोक) कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन बालक को उसके संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने की आज्ञा देने वाला न्यायालय ऐसे संबंधी या अन्य व्यक्ति को बालक के अच्छे आचरण और ऐसी शर्तों के पालन के लिये, जो न्यायालय बालक के जीवन को सदाचारी और उद्योगशील बनाने के विचार से लगाये, उत्तरदायी होने के संबंध में प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित बंधपत्र (बांड) निष्पादित करने के लिये आदेश दे सकता है और इसके अतिरिक्त न्यायालय यह भी आज्ञा दे सकता है कि बालक को न्यायालय द्वारा बताये गये किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये।

(3) यदि बालक का पिता या माता या कोई विविध संरक्षक हो तो इस धारा के अधीन कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी तब तक कि—

(क) उक्त पिता या माता या विधिक संरक्षक को उस अपराध के संबंध में दोषी न ठहराया या विचारार्थ प्रेषित न किया गया हो या बालक के प्रति शान्ति रखने के लिये उससे बंधपत्र (मुचलका) निष्पादित न कराया गया हो तो उसका पता न चलता हो; या

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 21}

(ख) न्यायालय को कारणों के आधार पर यह विश्वास न हो जाये कि पिता, माता या विधिक संरक्षक ने अपराध में भाग लिया है, या वह उस रहस्य में रहा है या उसने किसी काम को करके या न करके अपराध को सुकर बना दिया है या वह बालक की देखभाल करने के लिये अन्य प्रकार से अनुपयुक्त है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि न्यायालय उपयुक्त समझे और पिता, माता या विधिक संरक्षक नियत प्रकार से न्यायालय को प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित दायित्व लेने का वचन दे तो न्यायालय ऐसे बालक को ऐसे पिता, माता या विधिक संरक्षक के निरोधन (कस्टडी) में इस प्रतिबंध के साथ रहने दे सकता है कि न्यायालय द्वारा बताया हुआ कोई व्यक्ति उस बालक का पर्यवेक्षण करता रहेगा।

(4) इस धारा के अधीन दी हुई प्रत्येक आज्ञा लिखित रूप में होगी और ऐसी कोई आज्ञा न्यायालय द्वारा बालक की अनुपस्थिति में दी जा सकती है। ऐसी आज्ञा के अनुसार बालक की देखभाल करने के संबंध में किसी व्यक्ति की सम्मति इस रीति से ली जायेगी, जिस न्यायालय उस बाध्य करने के लिये पर्याप्त समझे।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई आज्ञा दी जाये और उस व्यक्ति को दोषी ठहराये जाने या शान्ति रखने के लिये उसे बाध्य करने की कोई आज्ञा रद्द हो जाये या वह व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाये तो उन बातों को छोड़कर, जो उसके अधीन विधि के अनुसार दी गई हो ऐसी आज्ञा तुरन्त व्यर्थ हो जायेगी।

(6) न्यायालय बालक को किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में दिये जाने की आज्ञा दिये जाने के स्थान पर यह आज्ञा दे सकता है कि बालक की किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये।

21— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त अधिकार—प्राप्त किसी मैजिस्ट्रेट खोज के

उस बालक की

को उस सूचना के आधार पर, जो उसके सामने शपथपूर्वक या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के साथ ऐसे

लिये अधिपत्र (वारंट)

व्यक्ति द्वारा जो मैजिस्ट्रेट के मत में उस बालक के हित में कार्य कर रहा हो, रखी गयी हो, दुर्व्यवहार
ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा सन्देह करने का उचित कारण है कि —

जिसके साथ
हुआ हो

(क) उसके अधिक्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर किसी बालक के साथ इस प्रकार से जानबूझ कर दुर्व्यवहार किया गया है या किया जा रहा है या उसकी देखभाल नहीं की गयी है या नहीं की जा रही है, जिससे बालक को अनावश्यक कष्ट होने की संभावना है या जो उसके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन या इण्डियन पीनल कोड, 1860 के अध्याय 16 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध बालक के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है; तो

उक्त मैजिस्ट्रेट पहली बार उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम, जिसकी या जिनकी देखभाल निरोधन या नियंत्रण में ऐसा बालक हो, उक्त बालक को तुरन्त न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिये सम्मन जारी कर सकता है या ऐसा अधिपत्र जारी कर सकता है जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को, उसका नाम निर्देशन करके, यह अधिकार दिया जाय कि वह उक्त बालक की खोज कर और यदि ऐसा विदित हो कि उस बालक के साथ पूर्वोक्त ढंग पर जानबूझ कर दुर्व्यवहार या उपेक्षा की गयी है या की जा रही है या यह कि उस बालक के सम्बन्ध में कोई पूर्वोक्त अपराध किया गया है या किया जा रहा है तो उसे किसी सुरक्षित स्थान में ले जाय और जब तक वह मैजिस्ट्रेट के सामने न लाया जा सके तब तक उसे वहां निरुद्ध रखें, या जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया जाये कि वह बालक की, उसकी खोज करके या बिना खोज के, किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाये और जब तक वह मैजिस्ट्रेट के सामने न लाया जा सकें, तब तक उसे वहां निरुद्ध रखें और वह मैजिस्ट्रेट जिसके सामने वह बालक लाया जाय उस बालक का किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में उसी प्रकार रख सकेगा मानो वह व्यक्ति जिसके अवधान या नियंत्रण में वह बालक था, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचार के संबंध में न्यायालय को भेजा गया है :

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 22]

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त बालक ऐसी माता या संरक्षक के निरोधन या नियंत्रण में हो, जो महिला होने के कारण देश के आचार और सामाजिक शिष्टाचार के कारण बाहर निकलती हो तो मैजिस्ट्रेट साधारणतः उसके नाम सम्मन जारी करेगा और व्यक्ति के संबंध में, जिसके नाम ऐसा सम्मन जारी किया गया हो, यह समझा जायेगा कि उसने सम्मन का अनुपालन किया है यदि वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित न होकर उक्त बालक को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवा दें।

(2) इस धारा के अधीन अधिपत्र (वारन्ट) जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट अपने विवेक से उसी अधिपत्र द्वारा यह भी निर्देश कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति, जो उस बालक के संबंध में किसी अपराध का कथित दोषी हो, गिरफ्तार किया जाये और उसके सामने लाया जाये या यह निर्देश कर सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद जब तक उक्त मैजिस्ट्रेट अन्यथा निदेश न करें, उक्त मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के संबंध में पर्याप्त प्रतिभूतों सहित बंध पत्र निष्पादित करें तो वह अधिकारी, जिसके पास उक्त अधिपत्र भेजा जाये ऐसी जमानत ग्रहण करेगा और उक्त व्यक्ति को निरोधन से मुक्त कर देगा।

(3) उक्त अधिपत्र को निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी के साथ यह व्यक्ति भी जिसमें सूचना दी हो, यदि वह ऐसा करना चाहे तो रहेगा और यदि अधिपत्र जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश करें तो उसके साथ उपयुक्त योग्यता सम्पन्न चिकित्सक भी जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन की गयी किसी सूचना में या जारी किये गये अधिपत्र में सम्बद्ध बालक का नाम, यदि ज्ञात हो, तो दिया जायेगा।

22— (1) यदि किसी ऐसी दशा में जिसमें किसी व्यक्ति ने धारा 21 के उपबन्धों के या

असत्य और तुच्छ

अधीन सूचना दी हो, मैजिस्ट्रेट का ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, यह मत हो लिये

उद्देगकारी सूचना के

कि वह सूचना असत्य और तुच्छ या उद्देगकारी (फिबोलत ओर वेक्सेशस) थी, तो मैजिस्ट्रेट

प्रतिकर

कार्यों का उल्लेख करते हुये वह निर्देश कर सकता है कि ऐसी सूचना देने वाला उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध सूचना दी गयी थी, प्रतिकर की ऐसी धनराशि जो अवधारित की जाये और पांच सौ रुपये अधिक न हो, देगा ।

(2) प्रतिकर देने की आज्ञा देने के पूर्व मैजिस्ट्रेट सूचना देने वाले से इस बात का कारण पूछेगा कि उससे प्रतिकर क्यों न लिया जाये और मैजिस्ट्रेट उक्त कारण पर, जो उक्त सूचना देने वाले द्वारा बताया जाये, विचार करेगा ।

(3) मैजिस्ट्रेट प्रतिकर देने की आज्ञा के साथ यह भी आज्ञा दे सकता है कि, यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो, प्रतिकर न दे तो उसकी पैतालिस दिन की अवधि का कारावास दण्ड भोगना पड़ेगा ।

(4) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कारावास का दण्ड दिया जाये तो उस पर इंडियन पेनिल कोड 1860 की धारा 68 और 89 के उपबंध यथासंभव लागू होंगे ।

(5) ऐसा व्यक्ति, जिसको इस धारा के अधीन प्रतिकर देने का निर्देश किया गया हो, उक्त आज्ञा के आधार पर उक्त सूचना के संबंध में जो उसने दी है, किसी आर्थिक या आपराधिक दायित्व (सिविल और क्रिमिनल लायविलिटी) से मुक्त नहीं हो सकेगा, किन्तु इस विषय के किसी बाद में होने अर्थवाद में, उस धनराशि पर जो उसने प्रतिकर के रूप में दी हो, विचार किया जायेगा ।

(6) कोई सूचना देने वाला, जिसको पचास रुपये से अधिक प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो, उस आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है मानो ऐसी सूचना देने वाला प्रतिकर देने का निर्देश करने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी आपराधिक विचार के आधार पर दोषी ठहराया गया हो ।

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 23-26}

(7) जब किसी ऐसे अभियोग में, जिसके विरुद्ध उपधारा (6) के अधीन अपील हो सकती है, प्रतिकर देने की आज्ञा दी गई हो तो यह प्रतिकर उस व्यक्ति को जिसे प्रतिकर देने की आज्ञा हुई हो उस अवधि के, जो अपील प्रस्तुत करने के लिये निगत हो, बीत जाने के पूर्व नहीं दिया जायेगा, यदि कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो उसके निर्णय के पूर्व, और जब उक्त आज्ञा ऐसे अभियोग के प्रसंग में दी गई हो, जिसके विरुद्ध अपील न की जा सकती हो, तो प्रतिकर उक्त आज्ञा के दिनांक से एक मास पूर्व नहीं दिया जायेगा ।

अध्याय 4

अवयस्क

अपराधी

23— (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो अप्रत्यक्षतः सोलह वर्ष से कम अवस्था को हो, जमानत

बालकों को

किसी (नान बेलिवल) अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाये और तुरन्त ही न्यायालय के सामने न लाया जा सकें तो उस बात का अवयस्क अधिकारी (आफिसर इंचार्ज) जिसमें वह व्यक्ति लाया गया हो किसी भी दषा में उसे छोड़ सकता है और जब अपराध दण्डनीय नरहत्या या ऐसा अपराध न हो, जिसके लिये प्राणदण्ड या निर्धारित दण्ड मिल सकता हो तो उसको जमानत पर अवश्य ही मुक्त कर देगा यदि पर्याप्त प्रतिभूति (सिक्योरिटी) मिल रही हो और ऐसा न हो कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध होंगे, अधिकारी को विश्वास होता हो कि मुक्ति से यह व्यक्ति किसी कुख्यात अपराधी से मिला जायेगा या नैतिक पतन में पड़ने का उसे अवसर मिलेगा अथवा उसकी मुक्ति से न्याय का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा :

किन्तु यदि प्रत्यक्षतः सोलह से कम आयु की कोई बालिका गिरफ्तार की गई हो तो किसी थाने (पुलिश स्टेशन) का अवधायक अधिकारी, जिसने वह गिरफ्तारी की हो या जिसके उसे तुरन्त मुक्त कर देगा यदि कोई व्यक्ति, जो बालिका का सम्बन्धी हो या उसी धार्मिक विचारों वाली कोई समिति या संस्था हो, जिन विचारों वाली वह लड़की है, जो उसकी सहमति में पर्याप्त और उचित प्रतिभू है और उतनी धनराशि का बन्धनामा लिखें, जितनी वह अधिकारी उस बालिका के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए या थाने में बुलाये जाने पर उसके स्थान में स्वयं उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समझता है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये “संबंधी” शब्द का अर्थ माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची और सगे चचेरे भाई बहने हैं।

24— जब कोई व्यक्ति, जिसकी अवस्था प्रत्यक्ष रूप से सोलह वर्ष से कम की हो, निरोधन

उन बालको का

गिरफ्तार हुआ हो तो और धारा 23 के अधीन या अन्यथा मुक्त न किया गया हो, तो थाने का मुक्त न

जो जमानत पर

अवधायक अधिकारी उसको नियत रीति से उस समय तक निरुद्ध रखवायेगा तब तक वह न्यायालय के सामने न लाया जा सकें :

किये गये हो

किन्तु निरोध की अवधि किसी भी दशा में किसी न्यायालय की विशेष आज्ञा के अभाव में चौबीस घंटों से अधिक न होगी, जिसमें वह समय सम्मिलित न होगा जो गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक ले जाने के लिये आवश्यक हो।

25— कोई न्यायालय किसी बालक को, जो जमानत पर मुक्त नहीं किया गया हो, विचारार्थ

लौटा भेजना या

लौटा भेजने (रिमांडिंग) या विचारार्थ भेजन (कमिटिंग फार ट्रायल) पर नियत रीति में उसे उपस्थिति

न्यायालय में

निरुद्ध करने की आज्ञा देगा।

26— (1) जब किसी बालक पर कोई अपराध लगाया गया हो या किसी प्रार्थना पत्र की

बालक माता पिता

पर न्यायालय में वह इस आज्ञा के लिये लाया गया हो कि उसे किसी अनुमोदित स्कूल में भेज उपस्थिति

न्यायालय में

दिया जाये, तो उसके माता पिता या संरक्षक को किसी दशा में यह आदेश दिया जा सकता है और यदि उसका पता चल जाये और वह उचित दूरी के भीतर रहता हो तो यह आदेश अवश्य दिया जायेगा कि न्यायालय के सामने जिसमें वह अभियोग सुना जा रहा है, कार्यवाहियों के समस्त अवस्थाओं में उपस्थित हो जब तक न्यायालय को यह सन्तोष न हो जाये कि उसकी उपस्थिति का आदेश अनुचित होगा।

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

{धारा 27-29}

(2) किसी बालक के गिरफ्तार होने पर उस थाने का अवधायक अधिकारी जिसमें वह लाया गया हो बालक के माता पिता या संरक्षक को यदि उसका पता लगाया जा सकें, आदेश देगा कि वह उस न्यायालय में उपस्थित हो जिसमें वह बालक लाया जायेगा।

(3) बालक के माता, पिता या संरक्षक, जिसकी उपस्थिति इस धारा के अधीन आवश्यक होगी, बालक का ऐसा माता, पिता या संरक्षक होगा, जिनके अवधान में बालक हो या जिसका बालक पर नियंत्रण हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसा संरक्षक उसका पिता न हो तो पिता की उपस्थिति भी आवश्यक होगी।

(4) बालक के पिता या माता की उपस्थिति इस धारा के अधीन किसी ऐसी दशा में आवश्यक न होगी जब किसी न्यायालय की आज्ञा से कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पहले ही बालक माता या पिता के निरोधन या अवधान से हटा लिया गया हो।

(5) इस धारा में कोई ऐसी बात न समझी जायेगी, जिससे किसी बालक की माता या महिला संरक्षिका की उपस्थिति आवश्यक हो, यदि ऐसी माता या महिला संरक्षिका प्रथा के अनुसार सार्वजनिक स्थान में न निकलती हों, किन्तु कोई ऐसी माता या महिला संरक्षिका किसी अभिवक्ता या अभिकर्ता (प्लीडर आर एजेन्ट) के द्वारा न्यायालय में उपस्थिति हो सकती है।

27— किसी विधि में किसी विपरित बात के होते हुये भी कोई न्यायालय किसी बालक

दण्ड, जो किसी

बालक को प्राणदण्ड या निर्वासन (ट्रान्सपोर्टेशन) या किसी अवधि के लिये कारावास या दण्ड सकता

को नहीं दिया जा

का जुर्माना न देने पर कारावास का दण्ड न देगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि बालक बारह वर्ष या उससे अधिक अवस्था का हो तो उस दशा में कारावास में भेजा जा सकता है। जब न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उक्त बालक इतना उद्दण्ड या दुर्वृत्त है कि वह अनुमोदित स्कूल में भेजने के लिये

अनुपयुक्त है और यह कि विधिक प्रक्रिया की अन्य ढंगों में से कोई भी उसके लिये उपयुक्त नहीं है ।

28— किमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में किसी विपरित बात के होते हुये भी किसी कोड बालक के विरुद्ध उक्त कोड के अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही की जायेगी और उसके अधीन कोई आज्ञा पारित की जायेगी । किसी अभाव

किमिनल प्रोसीजर

के अध्याय 8 के

बालक के विरुद्ध कार्यवाही का

29— (1) यदि वह निर्णय हो जाये कि किसी बालक ने ऐसा अनुरोध किया है, जिसका दण्ड निर्वासन या कारावास है तो, यदि न्यायालय को जांच करने पर सन्तोष हो जाये कि ऐसा करना उत्पन्न (एक्सपीडियेन्ट) है, तो वह उस बालक को किसी अनुमोदित स्कूल में उस अवधि तक रखने की आज्ञा दे सकता है, जो उस समय से अधिक न होगी जबकि बालक 18 वर्ष का हो जाय अथवा उक्त अवधि से ऐसा कम अवधि तक जिसके संबंध में कारण लेखाबद्ध होंगे ।

किसी अनुमोदित

बालक का भेजा

(2) यदि इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व किसी अवयस्क अपराधी को निर्वासन या कारावास का दण्ड मिला हो तो राज्य सरकार निदेश कर सकती है कि ऐसे दण्ड को भोगने या पूर्ण करने के स्थान पर उसे, यदि वह सोलह वर्ष से कम अवस्था का हो, किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये और तब वह अपराधी इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों के अधीन इस प्रकार होगा मानो उक्त स्कूल में उसके निरोध की आज्ञा प्रारम्भ से दी गई थी ।

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 30—32]

30— (1) कोई न्यायालय यदि उपयुक्त समझे तो किसी अवयस्क अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल में निरुद्ध करने के स्थान पर यह आज्ञा दे सकता है कि वह— निरोध

अवयस्क अपराधी

छोड़ने या उपयुक्त में भेजने की शक्ति

(क) उचित उद्बोधन (एडमनिशन) के पश्चात् मुक्त कर दिया जाये; या

(ख) वह सदाचरण के परीक्षणकाल (प्रोबेशन) के लिये छोड़ दिया जाये और माता पिता या संरक्षक या अन्य वयस्क संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में उक्त माता पिता संरक्षक या संबंधीया अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के साथ या बिना उसके ऐसा बंधनामा किये जाने पर, जिसके विषय में न्यायालय आदेश दे और जिसके द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न होगी, अवयस्क अपराधी को सदाचरण के लिये और ऐसी अन्य शर्तों के अनुपालन के लिये जिन्हें न्यायालय इस बात के निश्चय के निमित्त लगाये कि अवयस्क अपराधी सच्चा और औद्योगिक जीवन व्यतीत करेगा, उक्त माता पिता आदि के उत्तरदायित्व लें, रख दिया जायें ।

न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि इस दण्ड के अधीन मुक्त किया गया अवयस्क अपराधी किसी सुधार अधिकारी के या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये, जिसे इस प्रयोजन के लिये न्यायालय नियुक्त करें ।

(2) यदि न्यायालय को सुधार अधिकारी से आख्या (रिपोर्ट) प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि अपराधी परीक्षणकाल में सदाचारी नहीं रहा तो वह, ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह उचित समझे यह आज्ञा दे सकात है कि अपराधी किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये ।

31— (1) जब यह निर्णय हो जाये कि बालक ने ऐसा अपराध किया है, जिसके लिये अर्थ—दण्ड दिया जा सकता है और न्यायालय की यह राय हो कि इस प्रसंग में किसी अन्य आज्ञा

बालकों के माता

दण्ड के साथ या बिना उसके अर्थदण्ड उपयुक्त होगा, जब तक कि न्यायालय को यह सन्तोष न हो जाये कि माता पिता या संरक्षक का पता नहीं लग सकता अथवा बालक की उचित देखभाल में असावधानी के कारण यह अपराध में सहायक नहीं हुआ है, न्यायालय

जुर्माना चुकाने की

देने की शक्ति ।

किसी भी दशा में यह आज्ञा दे सकता है कि यदि अपराधी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो तो यह आज्ञा अवश्य देगा कि बालक का पिता या माता या संरक्षक अर्थादण्ड दें ।

(2) इस धारा के अधीन कोई आज्ञा माता, पिता या संरक्षक के विरुद्ध दी जा सकती है, जो आदेश देने पर भी उपस्थित न हुआ हो, किन्तु पूर्वोक्त स्थिति को छोड़कर उक्त आज्ञा माता पिता या संरक्षक को उसकी बात सुनी जाने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी ।

(3) इस धारा के अधीन जब किसी माता पिता या संरक्षक को कोई जुर्माना चुकाने का सं० 5

1898 ई० का ऐक्ट

निर्देश दिया गया हो तो वह धनराशि किमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 के उपबंधों के अनुसार वसूल की जा सकती है ।

(4) कोई माता, पिता या संरक्षक उक्त आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है, मानो उक्त आज्ञा स्वयं उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही में दी गई हो ।

32— (1) जब यह निर्णित हो जाय कि किसी बालक ने ऐसे गम्भीर प्रकार का अपराध किया है कि न्यायालय की राय में कोई दण्ड, जिसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के

बालको द्वारा किये

अधीन देने के लिये अधिकृत है, पर्याप्त न होगा, तो न्यायालय यह आज्ञा देगा कि अपराधी भी दशा में

कुछ अपराधों की

अधीन देने के लिये अधिकृत है, पर्याप्त न होगा, तो न्यायालय यह आज्ञा देगा कि अपराधी भी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, सुरक्षित निरोधन में रखा जाये और इस प्रसंग को राज्य सरकार की आज्ञा के लिये सूचित करेगा ।

निरोध

(2) धारा 13 के उपबंधों के होते हुये भी राज्य सरकार आज्ञा दे सकती है कि ऐसा बालक ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उपयुक्त समझे, निरुद्ध किया जायेगा और इस प्रकार निरुद्ध बालक के विषय में यह समझा जायेगा कि वह वैध अवरोधन में है :

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 33—34]

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार आज्ञाप्ति निरोध की अवधि उस कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक न होगी, जो कारावास उस बालक को उपराध करने के लिये मिला होता ।

33— जब किसी बालक पर आरोपित अपराध का कोई न्यायालय विचार कर रहा हो बालकों

आरोप लगाये गये

और न्यायालय को सन्तोष हो जाये कि उसने उपराध किया है कि न्यायालय आज्ञा देने के पूर्व करने

के संबंध में विचार के ढंग

उस रीति पर विचार करेगा, जिसके अनुसार इस अधिनियम के या किसी अन्य ऐसे अधिनियम के अधीन, जो उक्त अभियोग में न्यायालय को कार्य करने के लिये समर्थ करें, अभियोग में कार्य किया जाये अर्थात् इस बातों पर कि —

(क) उचित उद्बोधन के उपरान्त अपराधी को मुक्त कर दिया जाये या

(ख) अपराधी माता, पिता, संरक्षक, अन्य वयस्क संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा, अपराधी के सदाचार के लिये उत्तरदायित्व का बंधनामा लिखने पर अपराधी को उसकी देखरेख में दिया जाये; या

(ग) इस प्रकार अपराधी को मुक्त कर दिया जाये और उसे न्यायालय द्वारा नामांकित व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रख दिया जाये ; या

(घ) अपराधी को किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख दिया जाये चाहे वह उसका संबंधी हो या न हो जो अपराधी की देखभाल का भार लेने के लिये तैयार हो; या

(ङ) अपराधी को सदाचरण के परीक्षणकाल की शर्त पर छोड़ दिया जाये या

(च) अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये; या

(छ) अपराधी को जुर्माना देने की आज्ञा दी जाये; या

(ज) अपराधी के माता, पिता या संरक्षक को जुर्माना देने की आज्ञा दी जाय; या

(झ) अभियोग में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्य किया जाये, जिससे उसमें विधितः कार्य हो सके; या

(ज) जब अपराधी बालक बारह वर्ष या उससे अधिक अवस्था का हो तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाये :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा में दी हुई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि न्यायालय को किसी भी अभियोग के संबंध में ऐसी रीति से कार्य करने का अधिकार है, जिसके अनुसार वह इस धारा के अभाव में नहीं कर सकता था ।

अध्याय 5

सुधार अधिकारी और अन्य व्यक्ति, जिनको और बालकों अवयस्क अपराधियों के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है

34— कोई सुधार अधिकारी—

अधिकारी की
नियुक्ति

सुधार

(क) वह व्यक्ति होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने सुधार अधिकारी के रूप में की हो, या

(ख) इस प्रयोजन के लिये किसी ऐसी संस्था द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस संबंध में मान्यता दी हो, दिया गया कोई व्यक्ति होगा, या

(ग) किसी मामले में, जहां ऐसा आवश्यक हो, कोई अन्य व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार की साधारण या विशेष आज्ञाओं का ध्यान रखते हुये न्यायालय समय-समय पर नियुक्त करें ।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 35-38}

35— इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों तथा न्यायालय के निर्देशों के अधीन के

सुधार अधिकारियों

सुधार अधिकारी—

कर्तव्य

(क) ऐसे उचित विरामों (इन्टरवल्स) पर, जो न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा में निर्दिष्ट किये गये हो या उसके अधीन जैसा कि सुधार अधिकारी उचित समझे, बालक या अवयस्क अपराधी को देखने जायेगा या उसे अपने पास बुलायेगा ;

(ख) इस बात का ध्यान रखेगा कि यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी का संबंधी या अन्य व्यक्ति, जिसकी देखभाल में ऐसा बालक या अवयस्क अपराधी रखा गया हो, बंधनामें की शर्तों का पालन करता है ;

(ग) यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी के आचरण के संबंध में न्यायालय को आख्या (रिपोर्ट) भेजेगा ;

(घ) बालक या अवयस्क अपराधी को परामर्श देगा, उसकी सहायता करेगा तथा उससे मित्रतापूर्वक व्यवहार करेगा और जहां जब आवश्यक हो, उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करने या उसको उचित काम में लगाने का प्रयत्न करेगा; और

(ङ) किसी अन्य कर्तव्य का, जो नियत किया जाय या जिसके संबंध में न्यायालय आज्ञा दें, पालन करेगा ।

36— किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके पर्यवेक्षण में इस अधिनियम के भाग 2 तथा 3 के कर्तव्य

अन्य व्यक्तियों के

उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय की आज्ञा के अनुसार कोई बालक या अवयस्क अपराधी रखा गया हो, इस संबंध में निर्मित नियमों अधीन रहते हुये, जहां तक संभव हो, वही कर्तव्य होंगे, जो कि इससे पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत किसी सुधार अधिकारी के है ।

37— जब इस अधिनियम के अध्याय 2 और 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य

सुधार अधिकारी या

न्यायालय के आदेश में नामांकित सुधार अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसने किसी बालक या अथवा

व्यक्ति की मृत्यु

अवयस्क अपराधी को पर्यवेक्षण में रखा हो, मर जाये या किसी कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन में असमर्थ हो या जब यह आवश्यक प्रतीत हो कि उस अधिकारी या व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाये, न्यायालय उसके स्थान पर कार्य करने के लिये अन्य सुधार अधिकारी या व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।

असमर्थता

अध्याय 6

अनुमोदित स्कूलों को भेजे गये या समुचित अवरोधन में रखे व्यक्तियों का भरण—पोषण और उसकी चिकित्सा

38— (1) जो न्यायालय किसी बालक या अवयस्क अपराधी के किसी अनुमोदित सहायता

माता—पिता की

स्कूल में निरोध के लिये या किसी बालक या अवयस्क अपराधी को किसी संबंधी या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखने के लिये आज्ञा देता है, वह माता, पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो बालक या अवयस्क अपराधी के भरण—पोषण के लिये उत्तरदायी हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसके भरण—पोषण के लिये, यदि वह ऐसा करने में समर्थ हो, तो नियत रूप से अंशदान (कट्रीब्यूशन) दें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व, न्यायालय माता, पिता या अन्य व्यक्ति की, जो बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी हो, परिस्थितियों की जांच करेगा और यथास्थिति माता पिता या ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य न हो तो उसके अधिवक्ता (वकील) की उपस्थिति में, साक्ष्य का, यदि कोई हो, अभिलेख करेगा ।

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

{धारा 39—40}

(3) इस धारा के अधीन दी गई किसी आज्ञा में न्यायालय द्वारा समय—समय पर परिवर्तन किये जा सकेंगे ।

(4) उपधारा (1) प्रयोजनों के लिये किसी बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, जिसके पास उपर्युक्त आज्ञा देने के समय, बालक या अवयस्क अपराधी की माता रखेली के रूप में रह रही हो, चाहे वह उसका कथित (प्युटेटिव) पिता हो या न हो और अवैध (इल्लेजिटिमेट) बालक की दशा में उसका कथित पिता हो;

किन्तु जब बालक या अवयस्क अपराधी अवैध हो और कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, संख्या 5

1898 ई0 का ऐक्ट

1898 की धारा 488 के अधीन उसके भरण पोषण के लिये कोई आज्ञा दी गई हो, तो न्यायालय साधारणतया कथित पिता के विरुद्ध अंशदान का आदेश नहीं देगा, किन्तु यह आदेश दे सकेगा कि भरण पोषण की उक्त आज्ञा के अधीन देय कुछ धन या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होता रहे, जिसको न्यायालय नामांकित करें और उसे यथास्थिति वह या वे बालक या अवयस्क अपराधी के भरण पोषण में व्यय करें ।

(5) जब किसी माता, पिता या अन्य व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी बालक या संख्या 5

1898ई0 का ऐक्ट

अवयस्क अपराधी के भरण पोषण के लिये अंशदान का आदेश हुआ हो तो वह न्यायालय को, जिसने आज्ञा दी हो, पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा और यदि उचित कारण के बिना वह ऐसा करें, तो उसको जुर्माना का दण्ड दिया जा सकेगा, जो पचीस रुपये तक हो सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन कोई ऐसी आज्ञा उसी रीति से निष्पादित की जा सकेगी, जिस रीति से का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 488 के अधीन कोई आज्ञा निष्पादित होती है ।

(7) कोई बालक या अवयस्क अपराधी, जो या तो पारिश्रमिक पाता हो या जिसके पास आय वाली सम्पत्ति हो, अपनी आय का ऐसा अनुपात, जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाये, अपने भरण—पोषण के लिये देगा ।

39— जब छः वर्ष से कम अवस्था का कोई बालक अनुमोदित स्कूल में भेजा जाय,

बालकों का निवास

तो उस स्कूल का प्रबन्धक मुख्य निरीक्षक की सम्मति से बालक को धारा 74 के अनुसार नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति के पास उस समय तक रख सकती है, जब तक कि बालक दस वर्ष का न हो जाये, और तदुपरान्त मुख्य संरक्षक की सम्मति से ऐसी अवधि के लिये, जो प्रबंधक बालक के हित में ठीक समझे, किन्तु इस बीच में पर्यवेक्षण को, वापस बुलाने की और अन्य प्रकार की, जो शक्तियां नियत की जाये, प्रबंधक उन सबका प्रयोग करता रहेगा, और जब कोई बालक इस प्रकार बाहर रखा जाये, तो अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसको स्कूल में निरुद्ध किया हुआ समझा जायेगा और ऐसे अपेक्षित

अनुकूलनों (ऐडेप्टेशन्स) के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार बनाये, इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा में दी हुई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह धारा 69 के उपबंधों के प्रतिकूल छः वर्ष से कम अवस्था के किसी बालक को किसी अनुमोदित स्कूल में भेज सके ।

40— (1) जब कोई बालक अथवा अवयस्क अपराधी किसी अनुमोदित स्कूल में भेजना

अनुज्ञप्ति पर बाहर

निरुद्ध हो, तो उस स्कूल का प्रबंधक, मुख्य निरीक्षक की सहमति लेकर, किसी भी समय उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को इस विषय में नियत शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति-पत्र द्वारा किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ रहने की आज्ञा दे सकता है, जिसका नाम अनुज्ञप्ति-पत्र में दिया गया हो और जो उसे शिक्षित करने अथवा किसी उपयोगी व्यापार अथवा उद्यम की दिशा देने के लिये, उसको लेने और अपने अवधान में रखने के लिये तैयार हो ।

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

{धारा 41}

(2) अनुमोदित स्कूल में अवयस्क अपराधी के निरुद्ध होने के आरम्भ से छः माह के बाद किसी समय अनुमोदित स्कूल के प्रबंधक की सिफारिश पर मुख्य निरीक्षक, यदि उसे सन्तोष हो जाये कि वह उचित विचार से प्रत्यापित है कि अवयस्क अपराधी अब अपराध नहीं करेगा और उपयोगी तथा उद्यमी जीवन व्यतीत करेगा, ऐसे अपराधी को नियत शर्तों के अधीन स्कूल में छोड़ सकता है और एक नियत फार्म में अनुज्ञप्ति-पत्र द्वारा किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के निरीक्षण और अधिकार में, जिसे मुख्य निरीक्षक अनुमोदित करें और जो उस अपराधी को अपने अवधान में रखने को तैयार हो, रहने की आज्ञा दे सकता है ।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति तब तक सप्रभाव रहेगी, जब तक कि उन शर्तों में से किसी के भंग होने के कारण जिन पर वह दी गई थी, वह निवर्तित अथवा जब्त न हो जाये ।

(4) स्कूल का प्रबंधक अथवा निरीक्षक, यथास्थिति, किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति को निवर्तित कर सकता है और बालक अथवा अवयस्क अपराधी को स्कूल में लौट जाने की आज्ञा दे सकता है और ऐसा वह उस व्यक्ति अथवा संस्था की इच्छा से अवश्य करेगा, जिसके साथ जिसके पर्यवेक्षण में बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति द्वारा रखा गया है । यदि बालक अथवा अवयस्क अपराधी स्कूल में लौट जाने से प्रतिषेध (रिफ्यूज) करता है अथवा नहीं लौटता है तो स्कूल का प्रबंधक अथवा मुख्य निरीक्षक, यथास्थिति, यदि आवश्यक समझे तो उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है अथवा करवा सकता है और स्कूल में वापस ले जा सकता है अथवा वापस भिजवा सकता है ।

(5) जब अनुज्ञप्ति निवर्तित अथवा जब्त हो गयी हो और बालक अथवा अवयस्क अपराधी स्कूल वापस जाने में प्रतिषेध करता है अथवा वापस नहीं जाता है तो न्यायालय शपथ अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञापन पर प्राप्त सूचना से संतुष्ट हो और समझता हो कि वह विश्वास कर लेने के लिये उपयुक्त आधार है तो माता पिता या संरक्षक उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उपस्थित कर सकता है तो वह एक आह्वान पत्र (सम्मन) जारी कर सकता है, जिससे माता पिता या संरक्षक को निर्दिष्ट दिन पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उपस्थित करने के लिये आदेश हो और यदि माता, पिता या संरक्षक बिना किसी उपयुक्त कारण के आदेश के अनुसार ऐसा नहीं करता है, तो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, जो उसका दायित्व हो उसके अतिरिक्त उसे एक सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा ।

(6) जब माता, पिता अथवा संरक्षक को जुर्माना देने का आदेश इस धारा के अधीन संख्या

1898 ई० का ऐक्ट

दिया गया हो तो जुर्माने की धनराशि कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबंधों के अनुसार वसूल की जा सकती है ।

5

(7) वह समय जब कि इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन, बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुमोदित स्कूल से अनुपस्थित रहता है, उसके उस स्कूल में निरुद्ध रहने के समय का एक भाग ही समझा जायेगा, किन्तु जब बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति के निवर्तित अथवा जब्त हो जाने पर स्कूल वापस न आया

हो तो इस प्रकार वापस न आने के के बाद व्यतीत हुआ समय उस समय की गणना में, जिसमें कि उसे स्कूल में निरुद्ध रहना है, सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

41— जो कोई भी—

अवयस्क

भाग निकलन

अनुमोदित स्कूल में निरुद्ध अथवा अनुज्ञप्ति पर स्कूल से बाहर रखे गये का बालक अथवा अवयस्क अपराधी को स्कूल से, अथवा ऐसे व्यक्ति के पास से, जिसके साथ वह अनुज्ञप्ति पर रखा गया है, अथवा ऐसे व्यक्ति की देखभाल से जिसकी देखभाल में वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया गया है, भाग निकलने के लिये जानबूझ कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है; अथवा

बालक अथवा

अपराधी का
(क)

में दुरुत्साहन करने
दण्ड

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 42-44}

(ख) जानबूझ कर किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को, जो इस तरह भाग निकला हो, आश्रय देता है, छिपाता है, अनुमत करता है अथवा स्कूल को या उस व्यक्ति के पास जाने से, जिसके पास अनुज्ञप्ति पर वह रखा गया था अथवा जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के अधीन वह रखा गया था, रोकता है अथवा ऐसा करने में जानबूझ कर सहायता देता है या अनुमत करता है, तो उसे दोनों में से किसी तरह के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो मास तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे ।

42— (1) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में इसके प्रतिकूल कोई बात होने पर बालक के

भाग निकले हुये

भी कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे बालक अथवा अवयस्क अपराधी, जो किसी अनुमोदित काम

संबंध में पुलिस का

स्कूल से या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास से जिसके पर्यवेक्षण में रहने के लिये उसे निर्देश किया गया था। अवरोध से भाग निकला हो, बिना बारंट के ही अपने अवधान (चार्ज) में ले लेगा और वह उस बालक के संबंध में कोई कार्यवाही निबद्ध किये बिना ही उसको फिर से अनुमोदित स्कूल में या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध में वापस भेज देगा और उस बालक के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस प्रकार भाग कर किसी विधि का उल्लंघन किया है, किन्तु उस स्कूल के अधिकारी या सम्बद्ध उपयुक्त व्यक्ति उसके साथ उस ढंग का व्यवहार करेंगे, जिसे वे उचित समझे, किन्तु ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ ही उस न्यायालय को भी इस संबंध में सूचित करेंगे, जिसने उक्त बालक को उनके या उसके पास पहले-पहल भेजा था।

(2) जब किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध से भागकर निकला हुआ बालक किसी भिन्न स्थान में अवधान (चार्ज) में ले लिया गया हो तो वह उस समय तक किसी सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा, जब तक कि वह वहां से हटाकर अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के अवरोध (कस्टडी) में भेज न दिया जाये ।

43— मुख्य निरीक्षक, किसी भी समय, उन कारणों से, जिन्हें वह लिपिबद्ध करेगा, स्कूल से

एक अनुमोदित

किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को एक अनुमोदित स्कूल से दूसरे में स्थानान्तरित करने का आदेश दे सकता है :

दुसरे में भेजना

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उस बालक अथवा अवयस्क अपराधी के निरोध का कुल समय ऐसे स्थानान्तरण से बढ़ाया नहीं जायेगा ।

44— (1) राज्य सरकार, किसी भी समय बालक अथवा अवयस्क अपराधी को उस व्यक्ति की देखभाल से, जिसके पास वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया हो, पूर्णतया अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों पर मुक्त कर सकती है।

मुक्त करना अथवा
स्थानान्तरण

(2) राज्य सरकार किसी भी समय बालक अथवा अवयस्क अपराधी को किसी अनुमोदित स्कूल से पूर्णतया अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों पर मुक्त करने की आज्ञा दे सकती है।

(3) राज्य सरकार अनुशासन के हित में अथवा किन्हीं विशेष कारणों से किसी अनुमोदित स्कूल में निरुद्ध पन्द्रह वर्ष से अधिक अवस्था के अवयस्क अपराधी को

यूनाइटेड प्रार्विसेज बोस्टल ऐक्ट, 1938 के अधीन स्थापित बोस्टल संस्था में जेल देने की आज्ञा दे सकती है :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसे अवयस्क अपराधी के निरोध का कुल समय ऐसे स्थानान्तरण से बढ़ाया जा सकता है

(4) इससे ठीक पहले की उपधारा के अधीन अवयस्क अपराधी का बोस्टल संस्था स्थानान्तरण होने पर यूनाइटेड प्रार्विसेज बोस्टल ऐक्ट, 1938 के उपबन्ध उस अपराधी पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों उसे आरम्भ से ही उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित बोस्टल संस्था में निरुद्ध रहने के लिये आज्ञा दी गयी थी ।

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 45-47]

45— वह अवधि, जिसके लिये बालक अथवा अवयस्क अपराधी अनुमोदित स्कूल में निरुद्ध किया जाये, उस आज्ञा में निर्दिष्ट होगा, जिसके द्वारा उसे वहां भेजा जायेगा और वह अवधि, यदि अवयस्क अपराधी आज्ञा देते समय पन्द्रह वर्ष से अधिक अवस्था का है तो दो वर्ष से और अन्य अवयस्क अपराधियों के संबंध में तीन वर्ष से, जैसा कि न्यायालय उसकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिये उपयुक्त समझे, कम न होगी, परन्तु उस समय से अधिक किसी दशा में न होगी, जब कि न्यायालय के मत में वह अठारह वर्ष की अवस्था का हो जायेगा ।

निरोध की अवस्था

46— (1) राज्य सरकार, किसी अनुमोदित स्कूल के प्रबंधक से परामर्श करके उस और उसी

अनुमोदित स्कूलों

स्कूल में किसी ऐसे व्यक्ति को स्थानान्तरित करके भेजने की अपनी स्वीकृति दे सकती है, विभिन्न

तरह से भारत के

जिसकी अवस्था अठारह से कम हो और जिसके संबंध में भारत के किसी अन्य भाग में किसी मध्य

भागों के स्कूलों के स्थानान्तरण

समर्थ प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम की अथवा रिफार्मेटरी स्कूल ऐक्ट, 1897 की आज्ञा के समान आज्ञा उस व्यक्ति को किसी अनुमोदित स्कूल अथवा रिफार्मेटरी स्कूल अथवा इसी तरह के किसी अन्य स्कूल में भेजने के लिये हुई हो ।

(2) राज्य सरकार, किसी अनुमोदित स्कूल से किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी को भारत के किसी ऐसे अन्य भाग में इसी तरह के स्कूल में स्थानान्तरित करके भेजने आज्ञा दे सकती है, जिसके विषय में उस भाग की सरकार द्वारा किसी सप्रभाव विधि के अधीन मिलती जुलती व्यवस्था की गई हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी का स्थानान्तरण किसी अन्य राज्य को बिना उस राज्य की स्वीकृति लिये न होगा ।

47— (1) राज्य सरकार को इस बात का पता लगने पर किसी न्यायालय की आज्ञा कोढ़ के

अस्वस्थ बालक या

के अधीन किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रहने वाला बालक कोढ़ी रोगों से

या अन्य कौंसर्गिक

है या किसी ऐसे रोग से पीड़ित है, जिसे राज्य सरकार ने नियत रीति से अछूत का रोग

पीड़ित

स्थानान्तरण

बालकों

(कन्टेजियस) प्रख्यापित किया हो, तो इसे आगे छूत का रोग कहा गया है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उस बालक के कोढ़ी होने या किसी छूत के रोग से पीड़ित होने के प्रमाणाधारों का उल्लेख करते हुये उसके किसी कुष्ठ निवारण गृह या अन्य सुरक्षित स्थान पर हटाये जाने और वहां उस अवधि के, जिसके लिये उसे उक्त स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के देखभाल में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, अवशिष्ट या भाग तक या यदि उस अवधि के समाप्त होने पर कोई चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित करें। उक्त बालक या अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसका चैकित्सकीय देखरेख (मेडिकल केयर) या चिकित्सा में रहना आवश्यक है, तो जब तक वह विधितः उत्सृष्ट (डिस्चार्ज) न हो जाये, निर्दिष्ट रीति से उसे चिकित्सा के लिये रखे जाने की आज्ञा दे दे ।

(2) राज्य सरकार को इस बात का पता लगने पर किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन किसी अनुमोदित स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति के देखभाल में रहने वाला कोई बालक अस्वस्थ मनस्क (आफ अनसाउन्ड माइन्ड) है, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उस बालक के अस्वस्थ मनस्क होने के प्रमाणाधारों का उल्लेख करते हुये उसके किसी मानसिक चिकित्सालय (मेन्टल हास्पिटल) या अन्य सुरक्षित स्थान में हटाये जाने और वहां

उस अवधि के लिये उसके उक्त स्कूल या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, अवशिष्ट भाग तक या यदि उस अवधि के समाप्त हो जाने पर चिकित्साधिकारी यह प्रमाणित करें कि उक्त बालक या अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसका चिकित्सा देखरेख या चिकित्सा में रहना अभी आवश्यक है तो तब तक जब तक वह विधितः उत्सृष्ट न हो जाये, निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा के लिये रखे जाने की आज्ञा दे दे।

[1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 48-50]

(3) जब राज्य सरकार को यह पता चले कि बालक अब स्वस्थ मनस्क या कुष्ठमुक्त या छूत के रोग से मुक्त हो गया है और यदि उस बालक को फिर निरोधन (कस्टडी) में रखा जाना हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को निर्देश देकर जिसके अवधान में वह बालक हो, आज्ञा देगी कि वह उस अनुमोदित स्कूल, जहां से या उस उपयुक्त व्यक्ति के पास से वह हटाया गया था, फिर भेज दिया जाये, किन्तु यदि अब उस बालक को निरोधन में नहीं रखा जाना है तो राज्य सरकार आज्ञा दे देगी कि वह उत्सृष्ट कर दिया जाये।

(4) इंडियन ल्यूनीसी ऐक्ट, 1912 की धारा 31 या लेपर्स, 1898 की धारा 14 के उपबंध यथास्थिति ऐसे प्रत्येक बालक पर लागू होंगे, जो किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठ निवारण गृह में उपधारा (1) या (2) के अधीन उस अवधि की समाप्ति पर, जिस तक उसे रखे जाने की आज्ञा हुई थी, रहे और जितने दिनों कोई बालक उक्त उपधारा के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठ निवारण गृह में रहे उतने दिन उस अवधि के, जिसके लिये उसके निरोधन में रखे जाने की आज्ञा हुई थी, भाग समझा जायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जहां किसी अस्वस्थ मनस्क या कुष्ठ रोग से पीड़ित बालक का तत्काल हटाया जाना आवश्यक हो वहां उस संस्था के जहां उक्त बालक रखा गया रहा हो, अधिकारियों को अधिकार होगा कि यथास्थिति इंडियन ल्यूनीसी ऐक्ट, 1912 की धारा 31 या लेपर्स, 1898 की धारा 14 के अधीन प्राप्त अधिकक्षेत्र के न्यायालय को इस बात के लिये प्रार्थना कर सकें कि उस समय तक के लिये, जब तक इस संबंध में राज्य सरकार की आज्ञा प्राप्त न कर ली जा सकें तत्काल उसे पागलखाने या कुष्ठ निवारण गृह में भेज देने की आज्ञा दें।

अध्याय 7

अनुमोदित स्कूल तथा अन्य संस्थाएं

48— (1) राज्य सरकार, बालक अथवा अवयस्क अपराधी को लेने के लिये स्कूल तथा स्थापित कर सकती है और चला सकती है।
किया

स्कूलों की उपासना

उनका प्रमाणित
जाना

(2) किसी ऐसे स्कूल की प्रबंधक समिति के प्रार्थना पत्र पर अथवा उसकी सम्मति प्राप्त करके जो उपधारा (1) के अधीन स्थापित न हुआ है, राज्य सरकार यह प्रमाणित कर सकती है कि वह स्कूल ऐसे बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों को लेने के लिये उपयुक्त है, जो वहां इस अधिनियम के अनुसार भेजे जाये और ऐसे स्कूल की प्रबंधक समिति को ऐसी सहायता, जिसे राज्य सरकार उसे चलाने के निमित्त उपयुक्त समझे, दे सकती है।

49— (1) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक स्कूल के नियंत्रण और प्रबंध के लिये राज्य सरकार एक अधीक्षक (सुपरिटेण्डेंट) और एक समिति नियुक्त करेगी और वह अधीक्षक और समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस स्कूल के प्रबंधक समझे जायेंगे।

स्कूलों का प्रबंध

(2) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणित प्रत्येक स्कूल ऐसे व्यक्तियों के प्रबंध में होगा, जिन्हें राज्य सरकार अनुमोदित कर दें और उक्त प्रकार अनुमोदित व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उस स्कूल के प्रबंधक समझे जायेंगे।

50— (1) राज्य सरकार अनुमोदित स्कूलों का एक मुख्य निरीक्षक और इतनी संख्या का

अनुमोदित स्कूलों

में निरीक्षक या सहायक निरीक्षक जितनी की वह मुख्य निरीक्षक को सहायता के लिये

निरीक्षण

आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति के, जो इस प्रकार मुख्य निरीक्षक की सहायता करने के लिये नियुक्त हो, मुख्य निरीक्षक के उतने अधिकार और कर्तव्य होंगे, जितने के लिये राज्य सरकार आदेश दें, किन्तु वह मुख्य निरीक्षक के निर्देश के अधीन काम करेगा ।

[1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम]

[धारा 51—55]

(2) प्रत्येक अनुमोदित स्कूल का निरीक्षण मुख्य निरीक्षक अथवा सहायक निरीक्षक अथवा निरीक्षक द्वारा माह में एक बार होगा, किन्तु यदि ऐसा स्कूल केवल बालिकाओं के लेने के लिये हो और मुख्य निरीक्षक ने उसका निरीक्षण नहीं किया हो तो निरीक्षण, यदि व्यवहार्य (प्रेक्टिकल) हो, किसी स्त्री द्वारा किया जायेगा ।

51— अनुमोदित स्कूल का और उसके सब विभागों का निरीक्षण मुख्य निरीक्षक और अधिकार

निरीक्षकों के

इस कार्य के लिये नियुक्त निरीक्षक और सहायक निरीक्षक द्वारा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस विषय में अधिकार दे, हर समय हो सकेगा ।

52— कोई ऐसा निबद्ध (रजिस्टर्ड) चिकित्सक, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस विषय में अधिकार प्राप्त हों, किसी भी समय उसके प्रबंधक को सूचना देकर अथवा न देकर किसी भी अनुमोदित स्कूल का निरीक्षण, उसमें रहने वालों के स्वास्थ्य और स्कूल की सफाई की दशा के संबंध में मुख्य निरीक्षक का आख्या (रिपोर्ट) देने के उद्देश्य से कर सकता है :

चिकित्सा निरीक्षक

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसा स्कूल केवल बालिकाओं के लिये हो तो निबद्ध (रजिस्टर्ड) चिकित्सक पुरुष उस स्कूल में उसके प्रबंधक को सूचना दिये बिना नहीं जायेगा ।

53— यदि राज्य सरकार किसी अनुमोदित स्कूल की दशा, उसके नियमों, प्रबंध लेने का

प्रमाण—पत्र वापस

अथवा अधीक्षक से असंतुष्ट हो तो स्कूल के प्रबंधक को सूचना देकर किसी भी समय यह अधिकार

राज्य सरकार को

घोषणा कर सकती है कि उक्त स्कूल का प्रमाण—पत्र सूचना में निर्दिष्ट तिथि से वापस ले लिया गया है और उसी दिनांक से प्रमाण—पत्र रद्द हो जायेगा और वह स्कूल अनुमोदित स्कूल नहीं रहेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो प्रमाण—पत्र वापस लेने के स्थान में स्कूल के प्रबंधक को सूचना देकर सूचना के निर्दिष्ट समय तक के लिये अथवा जब तक सूचना का प्रतिसंहरण (रिवोकेशन) न हो जाय, उस स्कूल में बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों की भरती बंद कर सकती है :

यह भी प्रतिबंध है कि इस धारा अथवा उसके पृथक प्रतिबंध के अधीन सूचना जारी करने के पूर्व स्कूल के प्रबंधक का उपयुक्त अवसर इस बात का कारण दिखाने के लिये दिया जायेगा कि यथा स्थिति प्रमाण—पत्र वापस क्यों न लिया जाये अथवा स्कूल में भर्ती क्यों न बंद कर दी जाये ।

54— किसी अनुमोदित स्कूल का प्रबंधक मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को प्रमाण—पत्र

प्रबंधक द्वारा

अपने अभिप्राय के संबंध में छः मास की लिखित सूचना देकर स्कूल के प्रमाण—पत्र को त्याग कर सकता है और ऐसी सूचना के दिनांक से छः मास व्यतीत होने पर, यदि उस समय के पूर्व सूचना वापस न ले ली जाये, प्रमाण—पत्र का त्याग सप्रभाव हो जायगा और वह स्कूल अनुमोदित स्कूल न रहेगा ।

का त्याग

55— प्रमाण—पत्र की वापसी की सूचना स्कूल प्रबंधक द्वारा प्राप्त होने के दिनांक के लेने

प्रमाण—पत्र वापस

बाद प्रमाण—पत्र के त्याग की सूचना के दिनांक के बाद, किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी प्रभाव

अथवा त्याग देने का

को इस अधिनियम के अनुसार अनुमोदित स्कूल में नहीं किया जायगा, किन्तु उपर्युक्त दिनांको पर निरुद्ध बालकों अथवा अवयस्क अपराधियों के शिक्षा, शिक्षण, निवास, कपड़ा तथा खाना देने का आभार (दायित्व) जिसका उल्लेख इस अधिनियम में आगे किया गया है, उस स्थिति को छोड़कर उसके विषय में राज्य सरकार भिन्न प्रकार आदेश दे, प्रबंधक

का ही तब तक बना रहेगा जब तक कि प्रमाण—पत्र की वापसी अथवा उसका त्याग सप्रभाव न हो जाय।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 56—60}

56— किसी स्कूल के अनुमोदित न रहने पर, उत्सर्जन (डिस्चार्ज) तथा स्थानान्तरण करने से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसमें निरुद्ध बालकों अथवा अवयस्क रहने अपराधियों पूर्णतया अथवा कुछ ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार लगाये, मुक्त कर दिया व्यवस्थापना जायगा अथवा राज्य सरकार की आज्ञा से किसी दूसरे अनुमोदित स्कूल में स्थानान्तरण करके भेज दिया जायेगा।

प्रमाण—पत्र की वापसी
अथवा त्याग पर
वाल्लों का

57— राज्य सरकार अनुमोदित स्कूलों के किन्ही निवासियों अथवा निवासियों के स्थान

सहायक निवास

किन्ही वर्गों को लेने के लिये सहायक निवास (आगजलियरी होम्स) स्थापित कर सकती है अथवा अब से पूर्व किसी अन्य संस्था द्वारा स्थापित या बाद में स्थापित होने वाले किसी ऐसे निवास को प्रमाणित कर सकती है और इन प्रमाण—पत्रों को स्कूल के प्रमाण—पत्रों की तरह वापस लिया अथवा त्यागा जा सकता है और ऐसा प्रत्येक निवास राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये उस अनुमोदित स्कूल अथवा उन अनुमोदित स्कूलों का भाग हो, समझा जायेगा जिससे कि वह सम्बद्ध हो।

58— किसी ऐसे अनुमोदित स्कूल का प्रबंधक, जिसे राज्य सरकार ने स्थापित न किया हो, ऐसे किसी बालक अथवा अवयस्क अपराधी के लेने से प्रतिषेध (रिफ्यूज) कर सकता है, जिसे इस अधिनियम के अनुसार उसके पास भेजना प्रस्तावित हो, किन्तु एक बार किसी ऐसे बालक अथवा अवयस्क अपराधी का स्वीकार कर लेने पर यह समझा जायेगा कि उस पूर्णकाल तक के लिये जिसमें उस स्कूल में निरुद्ध रखना है अथवा जब तक कि स्कूल के प्रमाण—पत्र की वापसी अथवा उसका त्याग सप्रभाव नहीं होता, उस प्रबंधक ने उसे शिक्षा, शिक्षण, निवास—स्थान, कपड़ा और खाना देने का भार ले लिया है।

प्रबंधको के दायित्व

59— (1) राज्य सरकार, दरिद्र बालकों को लेने वाली किसी ऐसी संस्था का, जो लेने

छरिद्र बालको को

पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से चंदे की सहायता पर निर्भर हो और जिसका सरकारी निरीक्षण

वाली संस्थाओं का

अधिकार से या उसके अधीन निरीक्षण न किया जा सकता हो, निरीक्षण समय—समय पर किसी उपयुक्त काल में सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा बालकों के स्वास्थ्य और क्षेत्र कुशल और उस स्थान की स्वच्छता सुरक्षित रखने के लिये करा सकती है।

(2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक उपयुक्त काल पर संस्था में जाने का और वहां का तथा उससे सम्बद्ध रजिस्ट्रों तथा पत्रादिकों का पूर्णरूप से निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालेगा, दोषी ठहराये जाने पर पचास रुपये तक का जुर्माना देने का दण्ड का भागी होगा।

(3) यदि कोई ऐसी संस्था किसी धर्म विशेष के सिद्धान्तों के अनुसार चलाई जाती हो और यदि उस संस्था का प्रबंधक चाहे तो राज्य सरकार उसी धर्म के अनुयायी व्यक्ति की नियुक्ति, जहां ऐसा व्यवहार हो, उस संस्था में जाने और उसका निरीक्षण करने के लिये करेगा।

(4) यदि ऐसी संस्था केवल बालिकाओं को लेने के लिये हो तो निरीक्षण, साधारणतया किसी महिला द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 8

इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालयों के अधिकार और कार्य

60— (1) राज्य सरकार, किसी जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये एक अवयस्क न्यायालय (जुविनाइल कोर्ट) स्थापित कर सकती है और ऐसे न्यायालय के लिये जज (विचारापति) नियुक्त कर सकता है।

अवयस्क न्यायालय

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 61—64}

(2) इस अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये न्यायालय का तात्पर्य ऐसे अवयस्क न्यायालय से है, जो राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के लिये स्थापित किया जाये और उसके अन्तर्गत सेशन न्यायालय और प्रथम श्रेणी का ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये विशेष रूप से अधिकार दिया गया हो।

61— उस स्थिति को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था भिन्न प्रकार से अधिनियम में की गई हो :-

अवयस्क न्यायालयों

अधिकारी

अन्य न्यायालयों के

(1) जब किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये कोई आवश्यक न्यायालय स्थापित किया गया हो तो ऐसा न्यायालय उन सब अभियोगों पर, जिनमें किसी बालक पर विधि के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो, विचार करेगा और इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अन्य सभी कार्यवाहियों के विषय में कार्य करेगा और उसका निस्तारण करेगा, किन्तु उक्त न्यायालय को किसी ऐसे अभियोग पर विचार करने का अधिकार न होगा, जिसमें किसी प्रौढ़ (एडल्ट) पर अध्याय 3 के अधीन अपराध का आरोपण किया गया हो; और

(2) जब किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये कोई आवश्यक न्यायालय स्थापित किया गया हो तो उन न्यायालयों को छोड़कर जिन्हें धारा 60 के अधीन अवयस्क न्यायालय के अधिकारों (पावर्स) का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो, किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे अभियोग के विषय में, जिसमें किसी बालक पर विधि के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो, कार्य करने का या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के विषय में कार्य करने या उसका निस्तारण करने का अधिकार नहीं होगा।

62— (1) यदि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट का जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय प्रक्रिया अब

उस दशा में

की शक्तियों (पावर्स) का प्रयोग करने का अधिकार न दिया गया हो, यह मत हो कि उसके सामने लाया गया बालक किसी अनुमोदित विद्यालय में भेजे जाने या इस योग्य है कि उसके अधीन आज्ञा (पॉवर) संबंध में अन्य प्रकार का ऐसा कार्य किया जाये, जिससे कि इस अधिनियम के अधीन उस विषय में कार्यवाही की जा सकें, तो वह ऐसे मत को लिपिबद्ध करेगा और अपने यहां से हुई कार्यवाही (प्रोसेडिंग) की और उक्त बालक को सबसे पास के उस विषय में अधिक्षेत्र प्राप्त अवयस्क न्यायालय में या सबसे पास के ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो।

मजिस्ट्रेट की इस अधिनियम के देने की शक्ति नहीं है

(2) ऐसा न्यायालय या मैजिस्ट्रेट जिसके पास इस प्रकार से कार्यवाही (प्रोसेडिंग) भेजी जाये, ऐसी और जांच, यदि वह कोई करना चाहे और जिसे वह उपयुक्त समझे, कर सकता है और ऐसी आज्ञायें दे सकता है, जो उस दशा में वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट देता जब वह बालक पहले पहल उसके सामने लाया जाता या उसके द्वारा बालक के अपराध पर विचार किया जाता।

63— यदि किसी बालक पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो बालक न हो, किसी का

बालक और प्रौढ़

अपराध का आरोप किया जाये तो इस अधिनियम में कोई बात इसके विपरीत होने पर भी बालक के अपराध का विचार कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबंधों के अनुसार प्रौढ़ के साथ किया जा सकता है और इस अधिनियम की किसी बात से यह आवश्यक न होगा कि बालक के अपराध का विचार अवयस्क न्यायालय द्वारा किया जाये, किन्तु यदि बालक को कोई दण्ड दिया जायेगा तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

संयुक्त विचार

64— उस परिस्थितियों को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई हो मे

अवयस्क न्यायालयों

अवयस्क न्यायालय को किसी बैठक में निम्नलिखित को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित न उपस्थिति रहेगा :-

व्यक्तियों की

(क) न्यायालय के सदस्य और अधिकारी ;

(ख) न्यायालय के सामने प्रस्तुत अभियोग के पक्ष और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनका सीधा संबंध अभियोग से हो, जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी है ;

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें न्यायालय उपस्थित होने के लिये विशेष रूप से अधिकृत करें ।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 65-70}

65— यदि किसी अभियोग या कार्यवाही (केस या प्रोसीडिंग) के विचार की अवस्था से

अवयस्क न्यायालयों

पर अवयस्क न्यायालय बालक के हित की दृष्टि से किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत उसका जाना

व्यक्तियों का हट

पिता माता या संरक्षक या पत्नी या पति या स्वयं बालक भी है, न्यायालय के बाहर चले जान का विचार करना उपपन्न समझे, तो न्यायालय को ऐसा निर्देश करने का अधिकार होगा और ऐसा करने पर ऐसा व्यक्ति न्यायालय के बाहर चला जायेगा । यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के बाहर न जाये तो न्यायालय उसे हटाने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है ।

66— यदि अभियोग या कार्यवाही के विचार की किसी अवस्था पर न्यायालय इस अनुपस्थिति से

बालक की

बात से संतुष्ट हो कि अभियोग या कार्यवाही की सुनवाई के प्रयोजनों के लिये बालक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो न्यायालय उसे उपस्थित होने से मुक्त कर सकता है और अभियोग का विचार बालक की अनुपस्थिति में कर सकता है ।

मुक्त

67— यदि शालीनता या नैतिकता (डिसेन्सी आर मारेलिटी) के विरुद्ध किये गये रूप

बालक के साक्षी के

किसी अपराध या उसके विरुद्ध आचरण से सम्बद्ध किसी अभियोग या कार्यवाही के विचार किसी की अवस्था पर कोई बालक विचार देने के लिये बुलाया जाये तो अभियोग पर विचार व्यक्तियों का

में परीक्षण के समय न्यायालय से हट जाना

करने वाला या कार्यवाही में प्रवृत्त कोई न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे और अभियोग या कार्यवाही के पक्ष, उनके विधिक परामर्श देने वाले, और अभियोग या कार्यवाही के सम्बद्ध अधिकारी न हों, न्यायालय से बाहर चले जाने का निदेश कर सकता है । ऐसा करने पर ऐसे व्यक्ति न्यायालय से बाहर चले जाँगे । यदि कोई व्यक्ति बाहर न जाय तो न्यायालय उसे हटवाने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है ।

68— इस अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा दी जाने वाली किसी आज्ञा के प्रयोजनों के लिये न्यायालय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेगा :—
कुछ बातों होगा

आज्ञायें देते समय न्यायालयों द्वारा पर विचार करना

(क) बालक की अवस्था ;

(ख) जीवन की परिस्थिति, जिसमें बालक रहता है ;

(ग) सुधार अधिकारी द्वारा उसके संबंध में दी हुई आख्यायें (रिपोर्ट्स); और

(घ) ऐसी अन्य बातें जिन पर बालक के हित की दृष्टि से न्यायालय के मत में विचार करना आवश्यक हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब यह पाया जाये कि किसी अवयस्क अपराधी ने विधि का उल्लंघन किया है तो उस अवयस्क अपराधी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा इस निर्णय का कि उसने विधि का उल्लंघन किया है, उल्लेख करने के बाद ही उपर्युक्त बातों के संबंध में विचार किया जायेगा ।

अध्याय 9

साधारण और विविध

69— कोई न्यायालय किसी बालक या अवयस्क अपराधी को, जिसकी अवस्था दस भेजने

अनुमोदित स्कूलों में

वर्ष से कम हो, अनुमोदित स्कूल में भेजने की आज्ञा न देगा, जब तक कि किसी कारण से, अवस्था

के लिये न्यूनतम

जिसके अन्तर्गत यह कारण भी है कि अभियुक्त के समान ही धार्मिक विचार रखने वाला ऐसा व्यक्ति जो उसे अपनी देखभाल में रखने के लिये राजी हो, उपलब्ध नहीं है, न्यायालय को यह विश्वास न हो जाये कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है ।

70— प्रत्येक न्यायालय अपने सामने देखभाल के लिये अथवा अपराधी की हैसियत अवयस्कों के

बालकों और

से या अन्य प्रकार से लाये गये बालक के हित का ध्यान रखेगा और उचित दशा में बालक को द्वारा

विषय में न्यायालयों

दूषित वातावरण से हटाने का तथा उसकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षण की उचित व्यवस्था के वाले

पालन किये जाने सिद्धान्त

लिये प्रबंध करेगा ।

{1951 ई० का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 71—74}

71— (1) कोई समाचार-पत्र इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के समाचार कुछ

समाचार-पत्रों में

में बालक का नाम, पता, विद्यालय या ऐसा विवरण न छापेगा, जिससे वह बालक उस व्यक्ति मनाही

समाचार छापने की

के रूप में, जिसके विरुद्ध या जिसके संबंध में उक्त कार्यवाही चलाई गई हो या उसमें साक्षी के रूप में पहचाना जा सकें और किसी समाचार पत्र में किसी ऐसे बालक का, जिसका संबंध उपयुक्त कार्यवाही से हो, चित्र या ऐसा चित्र जिसमें वह हो, नहीं छपा जायेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार को किसी बालक में यह सन्तोष हो तो कि ऐसा करना न्याय के हित में है तो वह इस धारा में दिये हुये प्रतिबंध को अपनी आज्ञा से उस सीमा तक हटा सकती है, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के विरुद्ध कोई समाचार छापेगा तो उसे दोनों में से किसी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि दो मास तक हो सकती है, या जुर्माने का दण्ड, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दिया जा सकेगा, या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकेंगे ।

72— सुधार अधिकारी की आख्या या कोई और आख्या, जिस पर न्यायालय ने धारा आख्या

सुधार अधिकारी की

68 के अधीन विचार किया हो, गुप्त रखी जायेगी । को

और अन्य आख्याओं गुप्त समझना

73— (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर अपराध लगाया गया हो अथवा नहीं, किसी और

आयु की परिकल्पना

न्यायालय में गवाही देने से भिन्न प्रयोजन से उपस्थित किया जाये और न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि वह बालक है, तो वह न्यायालय उक्त व्यक्ति की अवस्था के बारे में उचित जांच कर सकता है और उसके निमित्त जो गवाही मिले, उसे ले सकता है और उस अपना निर्णय, जिसमें बालक की निकटतम अवस्था लिखी रहेगी, अभिलिखित कर सकता है ।

उसका आचरण

(2) इससे ठीक पहले की उपधारा के अधीन न्यायालय का यह प्रख्यापन की उसके सामने उपस्थित किये गये व्यक्ति की अवस्था सोलह वर्ष से कम है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा और कोई न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के समय उक्त घोषणा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

74— (1) स्कूलों के संबंध में यह अवधारित करते समय कि किस स्कूल में बालक धर्म,

उन व्यक्तियों का

या अवयस्क अपराधी को इस अधिनियम के अधीन भेजा जाये, न्यायालय बालक या अवयस्क जाये

जिन्हे बालक सौंपा

अपराधी का धर्म मालूम करेगा और यदि ऐसा स्कूल चुनेगा, जहां उसके धर्म की शिक्षा संबंधी सुविधायें हों ।

(2) उस बालक को अवधारित करते समय जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के अधीन बालक दिया जाये, न्यायालय उस व्यक्ति के धर्म को मालूम करेगा जो ऐसा भार लेता हो जो न्यायालय के मत में पर्याप्त हो कि बालक का पालन पोषण उसके धर्मानुसार होगा और उक्त धर्म का उल्लेख आज्ञा में किया जायेगा ।

(3) किसी ऐसी आज्ञा के आधार पर यदि कोई बालक ऐसी व्यक्ति की देखभाल में दे दिया गया हो, जो बालक के धर्म का अनुयायी न हो या जिसने भार न लिया हो, वह न्यायालय जिसने उक्त आज्ञा दी हो, या वेसे ही अधिकेत्र का दूसरा न्यायालय, किसी व्यक्ति के इस संबंध में प्रार्थना पत्र पर और यह प्रतीत होने पर कि बालक के धर्म का कोई उपयुक्त व्यक्ति है अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जो बालक का उपयुक्त भार लेगा और यदि उक्त व्यक्ति यदि बालक की देखभाल के लिये तैयार है तो उसे उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में बालक को देने के लिये आज्ञा देगा ।

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 75-76}

(4) यदि बालक को किसी ऐसे अनुमोदित स्कूल में भेज दिया जाये जहां उसके धर्म की शिक्षा की सुविधायें न हो अथवा उसे ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाये जो इस बात का भार न लेता हो कि सौंपे गये बालक का पालन पोषण उसके धर्मानुसार होगा, तो न्यायालय उक्त स्कूल अथवा उक्त व्यक्ति से इस बात की प्रतिज्ञा लेगा कि बालक की शिक्षा तथा पालन पोषण उसके धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म में न होगा ।

(5) यदि किसी बालक को बाहर रखा गया हो अथवा यदि बालक या अवयस्क अपराधी की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) द्वारा यह अनुज्ञा दे दी गई हो कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहे तो स्कूल का प्रबंधक इस काम के लिये उसके उसी धर्म का व्यक्ति का चुनाव करेगा, जो यथास्थिति बालक या अवयस्क अपराधी का हो और यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो तो वह ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा, जो इस बात का कि बालक या अवयस्क अपराधी की शिक्षा तथा पालन-पोषण उसके धर्मानुसार ही होगा, सन्तोषप्रद भार ले, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न मिले तो उसके किसी अन्य व्यक्ति को धारा 39 अथवा 40 के अधीन यथास्थिति सौंप दिया जायेगा ।

(6) जब कोई बालक किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल में दिया गया हो, जिसने उपयुक्त भार तो लिया हो किन्तु उक्त भार का निर्वाह न करता हो तो बालक उक्त व्यक्ति की देखभाल से हटा लिया जायेगा और इस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसकी व्यवस्था की जा सकती है ।

(7) जब किसी बालक के धर्म से अभिरुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को बालक के धर्म बदलने के प्रयत्न या उसके धर्म में हस्तक्षेप का समाचार मिले तो वह व्यक्ति न्यायालय को इस बात का प्रार्थना पत्र दे सकता है और न्यायालय को संतुष्ट हो जाने पर उक्त बालक को उक्त संस्था अथवा उक्त व्यक्ति की देखभाल से निकाल लेने की आज्ञा दे सकता है और अन्य उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्था की देखभाल में उसे दे सकता है ।

75— कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बालक समझा जायगा, यदि कर लेने

निर्दिष्ट आयु प्राप्त

इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रारम्भ होने के समय या उसकी विरुद्ध

पर भी बालक के

गिरफ्तारी के समय, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ का

व्यवहार (प्रोसीडिंग) जारी रहना । की

जाये, उसने धारा 2 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट अवस्था प्राप्त न की हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाही के समय में ऐसा व्यक्ति उक्त खण्ड में निर्दिष्ट अवस्था प्राप्त कर ले, तो कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है, वह बराबर चलती रहेगी और इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के संबंध में आज्ञायें दी जा सकती हैं मानो इस अधिनियम में कोई बात इसके विपरित होने पर भी वह व्यक्ति बालक ही था ।

76— (1) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के प्रवृत्त

निवर्तन

किये जाने के दिनांक से उसमें रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 के उपबंध और कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारायें 29-बी और 399 प्रचलित न रहेगी ।

1898 का ऐक्ट सं 5

(2) किसी अवयस्क अपराधी के विषय में, जो किसी क्षेत्र में रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, सं0 8

1898 ई0 का ऐक्ट

1897 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार किसी रिफार्मेटरी स्कूल में उस दिनांक के पहिले, जिस पर उपर्युक्त अधिनियम उपर्युक्त क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन लागू न ऐक्ट सं0 8 रहें, निरुद्ध हो, उस दिनांक से यह समझा जायेगा कि उसके निरोधन की आज्ञा इस प्रकार की

1897 ई0 का

गयी है, मानो उस अवयस्क अपराधी के विरुद्ध प्रारम्भ से ही इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई थी और जिस रिफॉर्मेटरी स्कूल में वह निरुद्ध हो, वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित अनुमोदित स्कूल समझा जायेगा। ऐसे अवयस्क अपराधी को निरुद्ध करने या अनुज्ञप्ति द्वारा उसे बाहर रखने की रिफॉर्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 के अधीन दी गई आज्ञा के विषय में उस दिनांक से यह समझा जायेगा कि वह आज्ञा इस अधिनियम के किसी अनुरूप उपबंध के अधीन दी गई है और यथासंभव तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे अवयस्क अपराधी पर लागू होंगे।

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 77-84}

77— टिहरी गढ़वाल राज्य बाल धूम्रपान निषेध ऐक्ट, 1949 निवर्तित (रिपील) किया जाये और एतद्वारा किया जाता है।

78— कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के अध्याय 42 के उपबंध जहां तक संभव संख्या

1897 ई0 का ऐक्ट

हो, इस ऐक्ट के अधीन निष्पादित बंधनामा पर लागू होंगे।

8 के अधीन बंधनामा

79— (1) धारा 3, 29, 30, 31, 38, 40 या 41 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी की पुनरीक्षण

अपील और

हुई आज्ञा के विरुद्ध अपील निम्नलिखित हो सकती है—

(क) सेशन जज को, यदि आज्ञा अवयस्क न्यायालय या प्रथम श्रेणी के ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसे इस संबंध में विशेष रूप से धारा 60 के अधीन अधिकार दिया गया हो, जारी की गयी है; और

(ख) हाई कोर्ट में, यदि आज्ञा सेशन जज द्वारा दी गई हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी आज्ञा का, जो उपधारा (1) के अधीन अपील योग्य न हो, हाई कोर्ट पुनरीक्षण कर सकता है।

80— धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अपील — अवधि

अपील करने की

(क) यदि वह उक्त उपधारा के खण्ड (क) के अधीन हो तो अवयस्क न्यायालय या मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर की जा सकेगी;

(ख) यदि वह उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन हो तो सेशन जज द्वारा दी गई आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जा सकेगी।

81— इस अधिनियम के अन्तर्गत कही गयी किसी बात का यह अर्थ न होगा कि वह का

न्यायालय अधिकेत्र

गार्जियन एण्ड बार्ड्स ऐक्ट, 1890 की धारा 4 की उपधारा (5) में परिभाषित न्यायालय के अभिक्षेत्र या अधिकार पर कोई प्रभाव डालती है या उनमें कमी करती है।

बचाव

82— अपील और पुनरीक्षण (रीविजन) के न्यायालयों के अधिकारों पर विपररत प्रभाव करने

आज्ञाओं में संशोधन

डाले बिना, वह न्यायालय, जिसने आज्ञा दी हो, किसी अवरोध (कस्टडी), पर्यवेक्षण (सुपरवीजन) या परीक्षण (प्रोवेशन) की आज्ञा में, उसमें नामांकित अभिरक्षक, पर्यवेक्षक या सुधार अधिकारी के विषय में, परीक्षण काल के विषय में और अन्य ऐसे ब्यौरे के विषयों में, जो उसमें उल्लिखित हो, संशोधन कर सकता है।

का अधिकार

83— जब किसी बालक के संबंध में यह निर्णय हो जाय कि उसने विधि का उल्लंघन किया है तो इस बात का कि उसके संबंध में यह तथ्य निर्णित हो चुका है, न तो निवारण

अभिशक्तियो संबंधी

इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 75 या कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 565 कि अधीन कोई प्रभाव होगा और न वह किसी अधिनियम के अधीन कोई पद या नियुक्ति (इम्प्लायमेंट) प्राप्त करने या निर्वाचन में खड़े होने के लिये अयोग्यता होगी।

अयोग्यता का

84— कोई व्यक्ति, जिसकी देखभाल में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई

बालक के अभिरक्षण

बालक रखा जाये, आज्ञा के प्रचलित रहने की अवधि में बालक पर ऐसा नियंत्रण रखेगा मानो नियंत्रण

(कस्टोडियन) पर

वह उसकी माता या पिता और वह उस बालक के भरण पोषण के लिये उत्तरदायी होगा और उसके माता या पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको प्राप्त करने की मांग के होते हुये भी, वह बालक न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक उसकी देखभाल में रहेगा ।

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 85-88}

85— सुधार अधिकारियों और अन्य सब व्यक्तियों को, जिन्हें इस अधिनियम के

सुधार अधिकारी और किसी

86— कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधीन ऐसे काम के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसके बचाव करने का अभिप्राय हो, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ।

इस अधिनियम के किये गये काम का

87— इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये सब या किसी अधिकार समर्पण (पावर) का प्रयोग ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें इस संबंध में राज्य सरकार विज्ञप्ति देकर निर्दिष्ट करे, किया जा सकता है ।

अधिकारों का

88— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये (2) विशेषतः और इसके पूर्वगत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये नियमों में निम्नलिखित में से सब या किसी विषयों की व्यवस्था हो सकती है :-

नियम नियम बना सकती है, कि

(क) अनुमोदित स्कूलों अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में बालको अथवा अवयस्क अपराधियों को भेजने की आज्ञा के विषय ;

(ख) सुधार अधिकारी की नियुक्ति, त्याग पत्र, पदच्युति से सम्बद्ध आनुषंगिक विषय तथा उनको दिया जाने वाला परिश्रमिक और खर्चा;

(ग) सुधार अधिकारी के कर्तव्य;

(घ) ऐसी शर्तें, जिन पर राज्य सरकार सोसाइटियों और संस्थाओं को उनमें सुधार अधिकारी रखने के लिये मान्य करें ;

(ङ) वह रीति, जिसके अनुसार अवयस्क अपराधी परीक्षण काल के लिये मुक्त किया जायें ;

(च) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन कोई अवयस्क अपराधी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) पर छोड़ा जाये, ऐसी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) का फार्म तथा शर्तें ;

(छ) अनुमोदित स्कूलों और सहायक निवास स्थानों का स्थापन और उनका चलाना और उक्त स्कूलों या सहायक निवास स्थानों की मान्यता को प्रमाणित करना ;

(ज) अनुमोदित स्कूलों और सहायक निवास स्थानों का प्रबंध ;

(झ) निरीक्षकों (विजिटर्स) की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल की अवधि ;

(ञ) अनुमोदित स्कूलों का निरीक्षण ;

(ट) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों का भरण पोषण और उनका शिक्षा संबंधी, उद्योग संबंधी, धर्म या सदाचार संबंधी या अन्य प्रकार का प्रशिक्षण ;

(ठ) अनुमोदित स्कूलों तक अवयस्क अपराधियों और बालकों को पहुँचाने की व्यवस्था ;

(ड) अनुमोदित स्कूलों में रखने वालों को स्कूल से थोड़े समय के लिये अनुपस्थिति की आज्ञा ;

(ढ) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों से मिलना और उससे पत्र व्यवहार;

{1951 ई0 का उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम}

{धारा 88}

(ण) अनुमोदित स्कूलों में रहने वालों द्वारा किये गये अपराधों के लिये दण्ड ;

(त) धारा 57 में बतायी गयी रीति के अनुसार संस्थाओं का निरीक्षण;

(थ) गिरफ्तार किये हुए, फिर से निरोधन में भेजे हुये (रिमान्डेड) या अभियोग के विचार के लिये भेजे हुये बालकों के निरोध की रीति;

(द) अवयस्क न्यायालयों में कार्यवाही की प्रक्रिया ;

(ध) अवयस्क न्यायालयों से भिन्न किसी दूसरे न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन अभियोग या जांच के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(न) बालकों के संबंधी अथवा उपयुक्त व्यक्ति देखभाल में सीखने की रीति से और ऐसे लोगों के कर्तव्य और ऐसे बालकों का पर्यवेक्षण ;

(प) माता-पिता तथा अन्य लोगों से जिन पर बालकों और अवयस्क अपराधियों के पोषण का भार हो, अंशदान दिया जाना ;

(फ) बालकों को अनुमोदित संस्थाओं से बाहर रखना (बोर्डिंग हाउस) और बालकों तथा अवयस्क अपराधियों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देना तथा उनका परीक्षण और उनके संबंध में आख्यायें (रिपोर्ट) प्रस्तुत करना।

{इस अधिनियम के प्रथम पृष्ठ के फुटनोट 2 पर देखें}

क्रमांक	जिले का नाम	धारायें जो प्रवृत्त हुई	प्रवृत्ति का दिनांक	विज्ञप्ति की संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5
1 कानपुर, 627(पी)/छत्तीस-स0क0-576(पी)-61	इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ तथा बरेली	समस्त धारायें	23 जून 1962	सं0 दिनांक 20 जून, 1962 ।
2 गोरखपुर, 627(पी)/छत्तीस-स0क0-576(पी)-	गाजीपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, मथुरा, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल तथा अल्मोड़ा	समस्त धारायें उन्नाव, एटा, टिहरी	23 जून 1962	सं0 61, दिनांक 20 जून, 1962 ।
3 फैजाबाद, झांसी तथा मेरठ 432(पी)/छत्तीस-स0क0-48(पी)-65,		3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	24 जुलाई 1965	सं0 दिनांक 12 जुलाई, 1965 ।
4 मुरादाबाद 4995/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		समस्त धारायें	11 नवम्बर 1967	सं0 दिनांक 30 अक्टूबर 1967 ।
5(अ) बस्ती 4670/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		समस्त धारायें	7 सितम्बर 1968	सं0 दिनांक 29 अगस्त 1968
5(ब) सहारनपुर तथा नैनीताल 4670/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	7 सितम्बर 1968	सं0 दिनांक 29 अगस्त 1968
6 बलिया समस्त धारायें		11 अक्टूबर 1969	सं0	4546/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67, दिनांक 25 सितम्बर 1969
7 मिर्जापुर 4546(1)/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	11 अक्टूबर 1969	सं0 दिनांक 25 सितम्बर 1969
8 शाहजहांपुर तथा हरदोई 5246/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		समस्त धारायें	11 दिसम्बर 1971	सं0 दिनांक 23 नवम्बर 19741
9 इटावा तथा गाजीपुर 5246(1)/छत्तीस-स0क0-32(पी)-67,		3 से 6, 23 से 76, 78 से 88	11 दिसम्बर 1971	सं0 दिनांक 23 नवम्बर 19741

THE UTTAR PRADESH CHILDREN ACT, 1951¹

[U. P. Act No. 1 of 1952]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 26, 1951 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 28, 1951.]

Received the assent of the President on February 5, 1952, under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in Gazette Extra, dated February 19, 1952.]

A
N

A
C
T

to consolidate and amend the law for the custody, protection treatment and rehabilitation of children and for the custody, trial and punishment of youthful offenders and for the amendment of the Reformatory Schools Act, 1897 in its application to Uttar Pradesh.

Preamble
protection

Act No. 8 of 1897

WHEREAS it is expedient to provide for the custody, treatment and rehabilitation of children and for the custody, trial and punishment of youthful offenders and for the amendment of the Reformatory Schools Act, 1897 in its application to the Uttar Pradesh;

It is hereby enacted as follows : --

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement
Pradesh.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Children Act, 1951.

(2) It extends to the whole of the Uttar

(3) This section and section 77 shall come into force at once.

(4) The State Government may, by notification² in the official Gazette, direct that all or any of the remaining provisions of this Act shall come into force in any local area on such date or dates as may be specified in such notification.

(5) Notwithstanding the commencement of this Act in any local area, the State Government may by notification in the official Gazette exclude any class of children or youthful offenders from the operation of all or any of the provisions of this Act.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(1) "approved school" means a school established or certified under this Act;

----- 1. For S. O. R., see Gaz. dated Sep. 23, 1950.

2. Refer to the footnote appearing on page 29.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 2]

- (2) "brothel" means a building or place, or any part as thereof, occupied or let or intended to be occupied or let, as a single tenement, for use by more than one person for the purposes of prostitution ;
- (3) "Chief Inspector" means the Chief Inspector appointed under section 50 ;
- (4) "child" means a person under the age of sixteen years ;
- (5) "fit person" in relation to the care of any child or youthful offender includes any society, institution or body corporate established for the reception or protection of poor children or the prevention of cruelty to children, which undertakes to bring up or to give facilities for bringing up any child or youthful offender entrusted to its care in conformity with the religion of its birth;
- (6) "guardian" in relation to a child or youthful offender includes any person who, in the opinion of the Court having cognizance of any proceedings in relation to the child or youthful offender or in which the child or youthful offender is concerned has for the time being the actual charge of or control over the child or youthful offender;

- (7) "juvenile court" means a Court established under sub-section (1) of section 60 and includes a Court sitting in the manner provided by sub-section (2) of that section;
- (8) "public place" includes any public park garden or railway station and any ground, building or premises to which the public for the time being have or permitted to have access whether on payment or otherwise;
- (9) "place of safety" means any observation home or any orphanage, hospital, or any other suitable place or institution the occupier or manager of which is willing temporarily to receive a child; or where such observation home, orphanage, hospital or other suitable place or institution is not available in the case of a male child only, a police station in which arrangements are available or can be made for the safe-keeping of a child separately from adult offenders ;
- (10) "Reformation Officer" means an officer appointed under section 34 ;
- (11) "prescribed" means prescribed by rules;
- (12) "street" includes any highway and any public bridge, road, lane, footpath, square, court, alley or passage, whether it through fare or not; and
- (13) "youthful offender" means any child who has been found to have committed an offence punishable with transportation or imprisonment.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 3]

CHAPTER II

CHILDREN IN NEED OF CARE OR PROTECTION

Power of court
manner in respect of
the age of children
needing care
or protection
abode, or
no parent
exercising
him, or

3. (1) Any police officer or other person authorized in this behalf in the prescribed may bring before a court any person apparently under sixteen years who- -----
- (a) is found wandering and not having any home or settled place of visible means of subsistence, or is found wandering and having or guardian or having a parent or guardian who is incapable of or does not ordinarily exercise proper care and guardianship over
- (b) is found begging or receiving alms (whether or not there is any pretence of singing, playing, performing, offering anything for sale or otherwise) or being in any street, premises or place for the purpose of so begging or receiving alms, or
- (c) is found destitute, and whose parents or surviving parent, and in the case of an illegitimate child whose mother, or other guardian are or is, undergoing a sentence of transportation or imprisonment, or .
- (d) is under the care of a parent or guardian who, by reason of criminal or drunken habits, is unfit to have the care of the child or who habitually neglects or cruelly ill-treats child, or
- (e) frequents the company of any reputed thief, or
- (f) is living lodging or residing in a house or part of a house used by any prostitute for the purposes of prostitution or is otherwise in circumstances calculated to cause, encourage or favour his seduction or prostitution, or
- (g) is otherwise likely to fall into bad association or to be exposed to moral danger, or to enter upon a life of crime :

Provided that where any such child has a parent or guardian who has actual charge or control over the child, the person or the officer aforesaid, as the case may be, shall in the first instance make a report to the nearest Court and such Court; may call upon such parent or guardian to show cause why the child should not during the pendency of the proceedings be removed from his care and may, on suitable sureties being offered for the safety of such child and for his being brought before the Court, permit the child to remain in the actual charge of his parents or guardian or may order his removal till the Court passes orders under this Act.

Explanation-- A child shall not be treated as coming within the description contained in sub-clause (f), if the house in which he is lodging or-residing is the house of his mother, who is a prostitute.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]
6]

[Section 4-

- (2) If the Court is satisfied on enquiry that such person is a child and is as described within the provisions of sub- section. (1) and that it is expedient to deal with him the Court may either-
 - (a) order him to be sent to an approved school or to the care of any fit person, whether a relative or not, who is willing to undertake the care until such child attains the age of 18 years or for such shorter period as may be specified, or ;
 - (b) order his parent or guardian, if any, to enter into a recognizance to exercise proper care and guardianship for specified period not exceeding three years, or
 - (c) without making any other order, or in addition to making an order under either of the preceding paragraphs, make an order placing him for a specified period, not exceeding three years, under the supervision of a Reformation Officer or of some other person appointed for the purpose by the Court.
- (3) If, after enquiry, the Court is satisfied that the child has been living by begging at the instance of and for the profit of any person who is a professional keeper of begging children, the Court may direct such person to appear before it and, after hearing him, may direct him to pay toward the cost of proceedings any amount not exceeding twenty-five rupees and such cost shall be realizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, as if it were a fine.

Sending of
the child, having
satisfied place of
relative residence

proper care outside the
juris
dicti
on
of
the
Cou
rt

4. In the case of child whose ordinary place of residence lies out-side jurisdiction of the Court before which it is brought, the Court may, if after due inquiry that it is expedient so to do, send the child back to a

or a fit person who is fit and willing to receive him and exercise
and control of him.

Power of the 5. Where the parent or guardian of a child applies to a Court that he is unable to parent or control the child and prays that the child be sent to an approved school, the guardian to Court, if satisfied after enquiry that it is expedient so to deal with the child, and bring child that the parent or guardian understands the result which will follow, may order before Court the child to be sent to any such school or may order him to be placed for a specified period, not exceeding three years, under the supervision of a Reformation Officer.

Interim order by 6. Where at any stage of a proceeding under this Chapter the Court be considers court it expedient in the interest of the child, it may make such interim order as it thinks fit for the detention or continued detention of the child in a place of safety or for his committal to the care of a fit person who is willing to take care of him.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 7- 9]

CHAPTER III

OFFENCES AGAINST CHILDREN AND THEIR PREVENTION

Punishment 7. (1) Whoever having the actual charge of or control over a child abandons, exposes or for cruelty to willfully neglects, assaults or ill-treats such child in a manner likely to cause such children child unnecessary suffering or injury to his health shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.

(2) For the purposes of this section injury to health includes injury to, or loss of, sight or hearing and injury to limb or organ of the body and any mental derangement and a parent or other person legally liable to maintain a child shall be deemed to have neglected him in a manner likely to cause injury to his health if he wilfully fails to provide adequate food, clothing medical aid or lodging for the child.

(3) A person may be convicted of an offence under this section notwithstanding that the actual suffering or injury to health was obviated by the action of another person.

(4) Nothing in this section shall be construed to take away or affect the right of any parent teacher or other person having the lawful control or charge of child to administer punishment to such child.

Causing or 8. (1) Whoever for his own profit causes any child or having the actual charge of or allowing child control over a child allows that child to be in any street, premises or peace for the to beg purpose of begging or receiving alms, or of inducing the giving of alms whether or not there is any pretence of singing, playing, performing, offering anything for sale or otherwise shall be punishable with imprisonment of either deception for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.

(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, exempt from liability to punishment under this section any class of persons in any district or place where this Act may be in operation.

Penalty for 9. If any person is found drunk in any public street or other public place whether a being drunk building or not while having the charge of a child apparently under the age of while in seven years and if such person is incapable by reason of his drunkenness of taking charge of a due care of the child, he may be arrested and shall, if the child is under that age, he child punishable with fine which may extend to fifty rupees.

Explanation--- for the purposes of this section a child shall be deemed to be under the age of seven if it appears to the court to be under that age unless the contrary is proved.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 10- 15]

- Penalty for 10. Whoever in any public street or other public place, whether a building or not giving causes to be given to any child any intoxicating drug or liquor except upon the order of duly qualified medical practitioner, or in case of sickness or other urgent cause, shall be punishable with fine, which may extend to fifty rupees.
- Penalty on 11. If any person sells to a person apparently under the age of 12 years any cigarette, selling cigarette paper, bidis, tobacco or smoking mixture, whether for his own use, or not, he shall be liable in the case of the first offence to a fine not exceeding Rs. 25 cigarettes, etc. and in the case of the second or subsequent offence to a fine not exceeding Rs. 100. to children
- Explanation--- for the purposes of this section and the next following section, the expression cigarette” includes out tobacco rolled up in paper, tobacco leaf or other material in such form as to be capable of immediate use for smoking.
- Seizure by 12. It shall be the duty of a police officer to seize any bidis, cigarettes, tobacco or police officer smoking mixture in the possession of a child whom he finds smoking in any street or public place and any bidis, cigarettes, tobacco or smoking mixture so of any bidis, seized shall be forfeited to State Government and every such police officer shall be authorized to search any child so found smoking but not a girl. cigarettes, tobacco or smoking mixture in possession of child
- Penalty for 13. Whoever takes an article in pawn from a. child whether offered by that child on his taking own behalf or on behalf of any other person shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine pawn from which may extend to one hundred rupees or with both. a child
- Allowing 14. Whoever having the actual charge of or control over, child between the ages of four child to be in and sixteen allows or permits that child to reside in or frequent brothel, shall be brothel punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.
- Causing or 15. (1) Whoever having the actual charge of, or control over, a girl under the age of eighteen encouraging years causes or encourages the seduction which shall include inducement or indulge in immoral behavior or prostitution of that girl of causes or encourages anyone seduction etc. other

than her husband provided his wife has attained the age of fourteen years to have sexual intercourse with her shall, on conviction be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 16- 19]

- (2) For the purposes of this section a person shall be deemed to have caused or encouraged the seduction of a girl or to have induced her to behave immorally, if he has knowingly allowed the girl to consort with, or to enter or continue in the employment of, any prostitute, or person of known immoral character.

Young girls 16. If upon a complaint it appears to the Court that a girl under the age of sixteen is exposed to risk of being treated with cruelty by her parent or guardian or that such girl with or without of seduction the knowledge of her parent or guardian is exposed to the risk of seduction or etc. or cruelly prostitution or of living a life of prostitution, the court may direct the parent or guardian to enter for a specific period into a recognizance to exercise due care and supervision in respect of such girl.

Seduction 17. whoever seduces or indulges in immoral behavior with a girl under the age of sixteen year shall, on conviction, be punished with imprisonment of either outrage of modesty description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Exploitation 18. (1) Whoever secures a child ostensibly for the purpose of menial employment or for of child labour in a dock factory or other establishment, but in part exploits the child for his employees own ends withholds or lives on his earnings, shall on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

- (2) Whoever secures a child ostensibly for any of the purposes mentioned in sub-section (1), and exposes such child to the risk of seduction, sodomy, prostitution or other immoral conditions, shall on conviction, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

- (3) Any person who knowingly avails himself of the labour of a child exploited in the manner referred to in sub-section (1) or (2) or for whose immoral gratification such child is used shall be liable as an abettor.

Detention of 19. (1) Any police officer, not below the rank of Sub-Inspector or a person authorized in the child in place manner prescribed may take to a place of safety any child in respect of whom an order of safety offence punishable under this Act or under Chapter XVI of the Indian Penal Code, 1860, has been or there is reason to believe has been or is likely to be committed.

- (2) A child so taken to a place of safety and also any child who seeks refuge in a place of safety may be detained there until he can be brought before the court, but, such detention shall not in the absence of a special order of the court, exceed a period of twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of detention to the court and the court may make such order as is mentioned in the next following sub-section or may cause the child to be dealt with as circumstances may admit and require until the charge made against any person in respect of

any offence as afore said with regard to the child has been determined by the conviction, discharge or acquittal of such person.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 20]

- (3) Where it appears to the Court that all offence as aforesaid has been or is likely to be committed in respect of any child who is brought before the court and that it is expedient in the interest of the child that an order should be made under this sub-section the court may make such order as circumstances may admit and require for the care and detention of the child until a reasonable time has elapsed for a charge to be made against some person for having committed the offence and if a charge is made against many person within that time, until the charge has been determined by the conviction, discharge or acquittal of that person and in case of conviction for such for the time not exceeding one month as the court, which convicted, may direct and any such order may be carried out notwithstanding that and person claims the custody of the child.

Disposal of 20. (1) Where any person having the actual Charge of or control over a child has been-
child by order
of court
punishable under
1860;or

- (a) convicted of committing in respect of such child an offence
this Act or under Chapter -XVI of the Indian Penal Code,
(b) committed for trial for any such offence; or
(c) bound over to keep the peace towards such child by any court;

that court may either at the time when he person is so convicted. committed or trial or bound over or at any other time, order that, the child be taken out of the charge and control of the person so convicted, committed for trial or bound over and be committed to the care of a relative of the child or other fit person named by the court (such relative or other person being willing to undertake such care) until he attains the age of eighteen years or for any shorter period and that court or any court of like jurisdiction may, of its own motion or on the application of all person, from time to time by order renew, vary and revoke any such order.

- (2) The court which makes an order committing a child to the care of a relative or other fit person under this section may require such relative or other person to execute a bond, with or without sureties, to be responsible for the good behavior of the child and for the observance of such other condition as the court may impose for securing that the child may lead an honest and industrious life and in addition order that the child be placed under the supervision of person named by the court,
(3) if the child has a parent or legal guardian, no order shall be made under this section unless-----

- (a) the parent or legal guardian has been convicted of or committed for trial for the offence or has been bound over to keep the peace towards the child or cannot be found, or

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 21]

- (b) the court has reason to believe that the parent or legal guardian has either been party or privy to the offence or has by any act or omission facilitated the offence, or is otherwise unfit to have the care of the child:

Provided that if the court think fit, it may, on such parent or guardian giving an undertaking with or without sureties in a prescribed form to the court allow such child to remain in the custody of such parent or legal guardian subject to the supervision of a person named by the Court,

- (4) Every order under this section shall be in writing and any such order may be made by the court in the absence of the child and the consent or any person to undertake the care of the child in pursuance of any such order shall be taken in such manner as the court may think sufficient to bind him,
- (5) Where an order is made under this section and the conviction or order binding the person to keep the peace is set aside or the person is acquitted, the order shall forthwith be void except with regard to anything that may have been lawfully done under it,
- (6) The court, instead of ordering the child to be committed to the care of a relative or other fit person, may order that the child shall be sent to an approved school.

Warrant to 21. (1) If it appears to a magistrate duly empowered under this Act, from information on search for oath or solemn affirmation laid by any person who in the opinion of the magistrate child ill- is acting in the interests of a child that there is reasonable cause to suspect that- treated

- (a) the child has been or is being wilfully ill-treated or neglected in any place within its jurisdiction in a manner likely to cause the child unnecessary suffering or to be injurious to health; or -
- (b) an offence punishable under this Act, or under Chapter XVI of the Indian penal Code, 1860, has been or is being committed in respect of the child;

the Magistrate may issue a summons in the first instance against the person or persons in whose care, custody or control such child is, to produce forthwith the said child in court, or may issue a warrant authorizing any police officer named therein to search for such child and if it is found that he has been or is being wilfully ill-treated or neglected in the manner aforesaid or that any offence as aforesaid has been as is being committed in respect of the child to take him to and detain him in a place of safety until he can be brought before the Magistrate, or authorizing any police officer to remove the child with or without search, to a place of safety and detain him there until he can be brought before the Magistrate and the Magistrate before whom the child is brought may commit him to the care of a relative or other fit person in like manner as if the person in whose charge or control he was committed for trial for an offence punishable under this Act :

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 22]

Provided that if the said child is in the custody or control of a parent or guardian who being a female does not according to the customs and manners of the country appear in public the Magistrate shall ordinarily issue a summons and the person to whom such summons is issued shall be deemed to have complied with the summons if instead of personally attending in court she causes the said child to be produced in court.

- (2) A Magistrate issuing a warrant under this section may in his discretion by the same warrant direct that any person accused of any offence in respect of the child be apprehended and brought before him, or direct that, if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the Magistrate at a specified time and thereafter until otherwise directed by the Magistrate, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody.
- (3) The police officer executing the warrant shall be accompanied by the person laying the information if such person so desires and may also if the Magistrate by whom the warrant is issued so directs be accompanied by a duly qualified medical practitioner.
- (4) In any information or warrant under this section the name of the child shall be given if known.

Compensation 22. for false and
deem frivolous or
frivolous or vexatious

that information
he may
information

- (1) If any case in which an information has been laid by any person under the provisions of section 21 the Magistrate after such inquiry as he may deem necessary is of opinion that such information was false and either vexatious the Magistrate may for reasons to be recorded in writing direct compensation to such an amount not exceeding five hundred rupees as he may determine be paid by such informer to the person against whom the information was laid.
- (2) Before making any order for the payment of compensation, the Magistrate shall call upon the informer to show because why he should not pay compensation and shall consider any case which such informer may show.
- (3) The Magistrate may by the order directing payment of the compensation further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall suffer simple imprisonment or a period of forty-five days.
- (4) When any person is imprisoned under sub-section (3), the provisions of sections 68 and 69 of the Indian Penal Code, 1860, shall, so far as may be, apply.
- (5) No person who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the information given by him but any amount paid as compensation shall be taken into account in any subsequent civil suits relating to such matter.
- (6) An informer who has been ordered to pay compensation exceeding fifty rupees may appeal from the order as if such informer had been convicted on a trial held by the Magistrate directing the payment of compensation.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 23- 26]

- (7) When an order for the payment of compensation is made in a case which is subject to appeal under sub-section (6) the compensation shall not be paid to the person ordered to receive it before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented, before the appeal has been decided and where such order is made in a case which

is not subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiration of one month from the date of the order.

CHAPTER IV YOUTHFUL OFFENDERS

Bail of
non-children
officer-in-
case and
punishable with
coming
release
to moral

23. (1) When a person apparently under the age of sixteen years is arrested for a bailable offence and cannot be brought forthwith before a court, the charge of the police station to which such person is brought may, in any case, unless the offence is one of culpable homicide or is an offence punishable with death or transportation, release him on bail if sufficient security is for the offence, for reasons to be recorded in writing, the officer believes that such release would bring him into association with any reputed criminal or expose him to danger or that his release would defeat the ends of justice :

Provided that where a girl apparently under the age of sixteen years is arrested the officer in charge of a police station who has made the arrest or before whom the girl is brought shall release her at once if any person who is a relative of the girl or a society or institution of the same religious persuasion as the girl, who in his opinion is a sufficient and suitable surety enters into a bond for such sum of money as the officer considers sufficient to produce her before the court or to appear in her stead if required at the police station.

- (2) For the purposes of this section the expression 'relative', means parents, grand-parents, brothers, sisters, uncles, aunts and first cousins.

Custody of
arrested is children not
the police station released on
he can be brought bail

24. Where a person apparently under the age of sixteen years having been not released under section 23 or otherwise, the officer in charge of the police station shall cause him to be detained in the prescribed manner until he can be brought before a court :

Provided that the period of detention shall in no case, in the absence of a special order of a court, exceed twenty-four hours, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the court.

Remand or
on bail, committal
to custody

25. A Court, on remanding or committing for trial a child who is not released shall order him to be detained in the prescribed manner.

Attendance in
an court of parent
or guardian of child
reasonable
during all

26. (1) Where a child is charged with any offence or is brought before a court on application for an order to send him to an approved school, his parent may, in any case, and shall if he can be found and resides within a reasonable distance, be required to attend at the court before which the case is heard the stages of the proceedings unless the court is satisfied that it would be unreasonable to require his attendance.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 27- 29]

- (2) Where a child is arrested, the officer –in-charge of the police station to which he is brought shall require the parent or guardian of the child if he can be found, to attend the court before which the child shall be produced.

- (3) The parent or guardian whose attendance shall be required under this section shall be the parent or guardian having the charge of or control over the child:

Provided that if such parent or guardian is not the father, the attendance of the father may also be required.

(4)The attendance of the parent of a child shall not be required under this section in any case where the child was, before the institution of the proceedings, removed from the custody or charge of his parent by an order of a court.

(5)Nothing in this section shall be deemed to require the attendance of the mother or the female guardian of a child if such mother or female guardian does not, according to custom, appear in public, but any such mother or female guardian may appear before the court by a pleader or agent.

Sentences that 27. shall may not be commit passed on child

Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, no court sentence a child to death or transportation or imprisonment for any term or him to prison in default of payment of fine :

be so that none suitable.

Provided that a child who is twelve years of age or upwards may committed to prison when the court certifies that he is of so unruly, or of depraved a character that he is not fit to be sent to an approved school and of the other methods in which the case may legally be dealt with is

No preceding 28. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 no under Chapter under VIII of the

proceedings shall be instituted and no order shall be passed against a child Chapter VIII of the said Code.

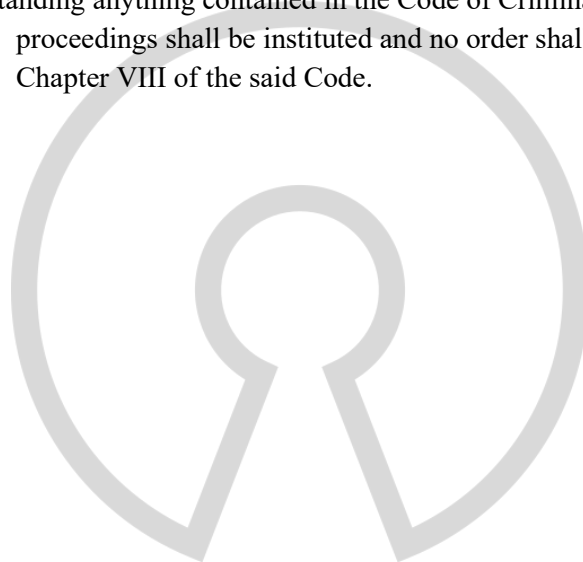
C
o
d
e

o
f
C
r
i
m
i
n
a
l

p
r
o
c
e
d
u
r
e

,
1
8
9
8

a
g
a
i
n



s
t
c
h
i
l
d

Commitment 29. (1) Where a child is found to have committed an offence punishable with transportation of child to or imprisonment, the court, if satisfied on inquiry that it is expedient so to deal with approved the child, may order him to be sent to an approved school for such period of stay as school will not exceed beyond the time when the child will attain the age of 18 years or for a shorter period, the reasons for such period to be recorded in writing.

- (2) Where prior to the commencement of this Act a youthful offender has been sentenced to transportation or imprisonment, the State Government may direct that in lieu of undergoing or completing such sentence he shall, if under the age of sixteen years, be sent to an approved school, and thereupon the offender shall be subject to all the provisions of this Act as if he had been originally ordered to be detained in such school.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 30- 32]

Power to
be discharge
youthful
offender or to
detain into
his suitable
custody
parent,
sureties, as the
youthful
observance of
youthful

30. (1) A court may, if it thinks fit, instead of directing any youthful offender to be detained in an approved school, order him to be----
- (a) discharged after due admonition; or
- (b) released on probation of good conduct and committed to the care of parent, guardian or other adult relative or other fit person on such guardian, relative or person executing a bond, with or without court may require, to be responsible for the good behaviour of the offender for any period not exceeding three years and for the such other conditions as the court may impose for securing that the offender may lead an honest and industrious life.

The Court may order that the youthful offender released under this clause may be placed under the supervision of a Reformation officer or of some other person appointed for the purpose by the court.

- (2) If it appears to the court on receiving a report from the Reformation Officer or otherwise that the offender has not been of good behaviour during the period of the probation, it may after making such inquiry as it thinks fit, order the offender to be detained in an approved school.

Power to order
and the parent of child
of a fine, to pay fine
case and shall,
paid by
parent or
of the

31. (1) Where a child is found to have committed an offence punishable with fine court is of opinion that the case would be best met by the imposition whether with or without any other punishment the court may in any if the offender is a child under twelve years of age, order that the fine be the parent or guardian of the child unless the court is satisfied that the guardian cannot be found or that he has not conducted to the commission offence by neglecting to exercise due care of the child .
- (2) An order under this section may be made against a parent or guardian who, having been required to attend, has failed to do so, but save as

aforesaid, no such order shall be made without giving the parent or guardian an opportunity of being heard.

(3) Where a parent or guardian is directed to pay a fine under this section, the amount may be recovered in accordance with the provisions of the code of Criminal procedure, 1898.

(4) A parent or guardian may appeal against any such order as if it had been an order passed in proceedings against him.

Detention in 32. that the case of certain this Act it is crimes by be kept in children

(1) When a child is found to have committed an offence of so serious a nature that the court is of opinion that no punishment which under the provisions of this Act is authorized to inflict is sufficient, the court shall order the offender to

case for the

safe custody in such place or manner as it thinks fit and shall report the orders of the State Government.

(2) Notwithstanding the provisions of section 13 the State Government may order any such child to be detained in such place and on such conditions as it thinks fit, and while so detained the child shall be deemed to be in legal custody :

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 33- 34]

Provided that no period of detention so ordered shall exceed the maximum period of imprisonment to which the child could have been sentenced for the offence committed.

Methods of 33. is dealing with consideration children enabling the charged with offences

Where a child charged with any offence is tried by any court, and the court satisfied of his guilt the court shall, before passing orders, take into the manner in which, under the provisions of this or any other Act court to deal with the case, the case should be dealt with, namely, whether

- (a) by discharging the offender after due admonition; or
- (b) by committing the offender to the care of his parent, guardian, other adult relative or other fit person or such parent, guardian, relative or person executing a bond to be responsible for his good behaviour; or
- (c) by so discharging the offender and placing him under the supervision of a person named by the court; or
- (d) by committing the offender to the custody of any suitable person, whether a relative or not, who is willing to undertake the care of the offender; or
- (e) by releasing the offender on probation of good conduct; or
- (f) by sending the offender to an approved school; or
- (g) by ordering the offender to pay a fine; or
- (h) by ordering the parent or guardian of the offender to pay a fine; or
- (i) by dealing with the case in any other manner in which it may be legally dealt with ; or
- (j) when the offender is a child of twelve years of age or up-wards by sentencing him to imprisonment:

Provided that nothing in this section shall be construed as authorizing the court to deal with any case in any manner in which it could not deal with the case but for this section.

CHAPTER V
REFORMATION OFFICERS AND OTHER PERSONS
ENTRUSTED WITH THE SUPERVISION OF CHILDREN AND
YOUTHFUL OFFENDERS

- Appointment of Reformation Officer Government, or 34. A Reformation Officer shall be---
- (a) any person appointed to be a Reformation Officer by the State
 - (b) any person provided for this purpose by a society recognized in this behalf by the State Government; or
 - (c) in any case where so necessary any other person appointed from time to time by the court subject to any general or special orders of the State Government.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 35- 38]

- Duties of to the Reformation Officers 35. A Reformation Officer shall, subject to the rules made under this Act and directions of the court----
- (a) visit or receive visits from the child or youthful offender at such intervals as may be specified in the order passed by the court or as the Reformation Officer may think fit;
 - (b) see that the relative of the child or the youthful offender, as the case may be, or other person to whose care such child or youthful offender is committed, observe the conditions of the bond;
 - (c) report to the court as to the behavior of the child or the youthful offender, as the case may be;
 - (d) advise, assist and befriend the child or the youthful offender, and when and where necessary, endeavor to arrange for his education or to find him suitable employment; and
 - (e) per form any other duty which may be prescribed, or which the court orders.
- reasonable subject thereto,
- Duties of other placed by persons Act shall, same 36. Any person under whose supervision a child or youthful offender has been an order of a court under the provisions of Chapters II and III of this subject to rules made in this behalf, have, so far as it may be possible, the duties as a Reformation Officer under the preceding section.
- Death or under the incapacity of offend or Reformation his duties, or Officer or 37. Where the Reformation Officer or other person named in an order to court provisions of Chapter II and III of this Act placing a child or youthful under supervision, has died or is unable for any reason to carry out
- appointed other person Reformation where it is made to appear that it is desirable that another person should be in the place of that officer or person, the court may appoint another Officer or person to act in his place.

CHAPTER VI
MAINTENANCE AND TREATMENT OF PERSONS SENT TO
APPROVED SCHOLLS OR COMMITTED TO SUITABLE
CUSTODY

Contribution 38. (1) The Court which makes an order for the detention of a child or youthful offender in of parent an approved school or for the committal of a child or youthful offender to the care of a relative or other fit person may make an order to the parent or such other person liable to maintain the child or youthful offender to contribute to his maintenance, if able to do so in the prescribed manner.

(2) The court before making any order under sub-section (1) shall enquire into the circumstances of the parent or other person liable to maintain the child or youthful offender and shall record the evidence, if any, in the presence of the parent or such other person, as the case may be, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 39- 40]

Act no. V of 1898 (3) An order made under this section may be varied by the court from time to time.

purposes of child or whether he is his (4) The persons liable to maintain a child or youthful offender shall for the sub-section (1) include any person in whose keeping the mother of the youthful offender is at the time when any order as aforesaid is made putative father or not and in the case of illegitimacy his putative father :

Provided that where the child or youthful offender is illegitimate and an order for his maintenance has been made under section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898, the court shall not ordinarily make an order for contribution against the putative father, but may order the whole or any part of the payments accruing due under the said order for maintenance to such person or persons as may be named by the court to be applied by him or them, as the case may be, towards the maintenance of the child or the youthful offender.

(5) Whether a parent or other person has been ordered under this section to contribute to the maintenance of a child or youthful offender, he shall give notice of any change of address to the court which passed the order and if he fails to do so without reasonable excuse he shall be punishable with a fine which may extend to twenty five rupees.

(6) An order under this section may be enforced in the same manner as an order under section 488 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

(7) A child including youthful offender in remuneration or possessing property yielding income shall pay such proportion of his earnings as may be ordered by the State Government towards his maintenance.

Boarding out 39. Where a child under the age of six years is sent to an approved school the manager of of children that school may with the consent of the Chief Inspector board the child out with any person appointed in accordance with section 74 until the child reaches the age of 10 years and thereafter for such longer period, with the consent of the Chief Inspector as the manager considers to be advisable in the interest of the child, subject to the exercise by the manager of such powers as to supervision, recall and otherwise as may be prescribed, and where a child is so boarded out he shall nevertheless be deemed for the purposes of this act to be a child detained in the school and the provisions of this Act shall apply accordingly, subject to such necessary adaptations a may be made by the State Government :

Provided that nothing in this section shall be construed authorizing a court to send a child under the age of six years to an approved school except in accordance with the provisions of section 69.

Placing out
manager of on licence
by license permit
behalf to live with
of him with a

40. (1) Where a child or youthful offender is detained in an approved school the school may, at any time with the consent of the Chief Inspector, the child or youthful offender on the conditions prescribed in this any fit person named in the licence willing to receive and take charge view to educate him or train him for borne useful trade or calling.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 41]

- (2) Subject to the prescribed conditions, the Chief Inspector may, on the recommendation of manager of an approved school at any time after the expiration of six months from the commencement of the detention of a youthful offender in an approved school aid if satisfied that there is a reasonable probability that the youthful offender will abstain from crime and lead a useful and industrious life, release such offender from the school and grant him a written licence in the prescribed form, permitting him to live under the supervision and authority of such fit person approved by the Chief Inspector as mar be willing to take charge of the offender.
- (3) Any licence granted under sub-section (1) or (2) shall be in force until revoked or forfeited for breach of any of the conditions on which it was granted.
- (4) The manager of the school or the Chief Inspector, as the case may be, may at any time by order in writing revoke any such licence and order the child or youthful offender to return to the school and shall do so at the desire of the person or society with whom or under whose supervision the child or youthful offender is licensed to live, If the child or youthful offender refuses or fails to return to the school, the manager of the school or the Chief Inspector, as the case may be, may, if necessary, arrest, or cause to be arrested, the child or youthful offender and take him or cause him to be taken back to school.
- (3) Where a licence has been revoked or forfeited and the child or youthful offender refuses or fails to return to the school the court may, if satisfied on information on oath or solemn affirmation that there is reasonable ground for believing that his parent or guardian could produce the child or youthful offender, issue a summons requiring the parent or guardian to attend at the court on such day as may be specified in the summons and to produce the child or youthful offender and if he fails to do so without reasonable cause he shall, in addition to any other liability to which he may be subject under the provisions of this Act, be punished with fine which may extend to one hundred rupees.
- (6) Where a parent or guardian is directed to pay fine under this section the amount may be recovered in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898,
- (7) The time during which A child or youthful offender is absent, from un approved school in pursuance of a licence under this section shall be deemed to be part of the time of his detention in the school, provided that where a child or youthful offender has failed to return to the school on the licence being revoked or forfeited, the time which elapsed after his failure so to return shall be excluded in computing the time during which he is to he detained in the School.

Penalty 41. Whoever---
abetting

escape of child
offender

or youthful
from the
offender
out on
the person

- (a) knowingly assists or induces, directly or indirectly a child or youthful offender detained in or placed out on licence from an approved school to escape school or from the school or from any person with whom he is placed licence, or any child or youthful offender to escape from the care of to whose care he is committed under the provisions of this Act, or

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]
42-44]

[Section

- (b) knowingly harbours, conceals, connives at or prevents from returning to school or to any person with whom he is placed out on licence or to whose care he is committed under this Act, a child or youthful offender, who has so escaped, or knowingly assists in or connives at so doing, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two months or with a fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

Action by 42. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in police with force, any police officer may take charge, without a warrant, of a child who has regard to escaped from an approved school or from THE custody of fit person under whose supervision he was directed to remain, and shall send the child back to the

approved children
proceedings in
infringed the law
of the school or
authorities or
originally sent.

school or to the custody of the fit person without registering any respect of the child, and the said child shall not be deemed to have by reason of such escape, but he shall be dealt with by the authorities the fit person concerned in such manner as they think fit, provided such person shall at the same time inform the court by which the child was

- (2) When a child absconding from an approved school or from the custody of a fit person has been taken charge of at a different place, he shall be kept In a place of safety pending his removal to the approved school or to the custody of fit person.

Transfer from 43. The Chief Inspector may at any time for reasons to be recorded in writing direct any one approved child or youthful offender' to be transferred from one approved school to another : school to another offender

Provided that the total period of detention of the child or youthful shall not be increased by such transfer.

Discharge or 44. (1) The State Government may at any time discharge a child or youthful offender from transfer the care of any person to whose care he is committed under this Act, either absolutely or on such conditions as the State Government approve. .

- (2) The State Government may at any time order a child or youthful offender to be discharged from an approved school, either absolutely or on such conditions as the State Government approve.

- (3) The State Government may order a youthful offender over the age of fifteen years detained in an approved school to be transferred to a Borstal institution established under the United Provinces Borstal Act, 1938 in the interest of discipline or for other special reasons :

Provided that the total period of detention of such youthful offender shall not be increased by such transfer.

- (4) Upon the transfer of a youthful offender to a Borstal institution under the preceding sub-section, the provisions of the United Provinces Borstal

Act, 1938, shall apply to such offender as if he had been originally ordered to be detained in a Borstal institution under that Act.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 45-47]

- | | | |
|--|------------|--|
| <p>Period of approved detention there and offender who any other training but the court</p> | <p>45.</p> | <p>The period for which a child or youthful offender is to be detained in an school shall be specified in the order in pursuance of which he is sent shall be such period not less than two years in the case of a youthful at the time of the order is over fifteen years and three years in the case of youthful offender as the court may deem proper for his teaching and not in any case extending beyond the time when he will in the opinion of attain the age of eighteen years.</p> |
| <p>Transfer approved between age of approved authority schools and schools of like school or nature in different parts of India transferred of India part under</p> | <p>46.</p> | <p>(1) The State Government may, in consultation with the manager of any school, consent to the transfer to that school of any person under the eighteen years in respect of whom an order has been made by competent in any other part of India of the nature of an order under this Act or the Reformatory Schools Act, 1897, for sending such person to an approved a reformatory school or any school of a like nature.</p> <p>(2) The State Government may direct any child or youthful offender to be from any approved school to any school of a like nature in any other part in respect of which similar provision is made by the Government of that any law in force therein :</p> <p>Provided that no child or youthful offender shall be transferred under this section to any other State without the consent of the Government of that State.</p> |
| <p>Transfer of approved children of leper or is unsound mind Government in the manner or suffering State from leprosy the child is a and other contagious leper asylum diseases Government be kept it is kept law.</p> | <p>47.</p> | <p>(1) Where it, appears to the State Government that any child kept in an school or in the care of a fit person under any order of a court is a suffering from a disease which is declared by the State prescribed to be contagious (hereinafter called a contagious disease), the Government may, by an order setting forth the grounds of belief that leper or is suffering from a contagious disease, order his removal to a or other place of safe custody, there to be kept and treated as the State directs during the remainder of the term for which he has been ordered to or, if on the expiration of that term it is certified by a medical officer that necessary for the safety of the child or of others that he should be further under medical care or treatment, then until he is discharged according to</p> <p>(2) Where it appears to the State Government that any child kept. in an approved school or in the care of a fit person under any order of a court, is of unsound mind, the State Government may, by an order setting forth the grounds of belief that the child is of unsound mind, order his removal to a mental hospital or other place of safety there to be kept and treated as the State Government directs during the remainder of the term for which he has been ordered to be kept or, if on the expiration of that term it is certified by a medical officer that it is necessary for the safety of the child or of others that he should be further kept under medical care or treatment, then until he is discharged according to law.</p> |

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 48-50]

- (3) Where it appears to the State Government that the child has become of sound mind, or is cured of leprosy, or of the contagious disease, the State Government shall, by an order directed to the person having charge of the child if still liable to be kept in custody, send him to the approved school or fit person from where he was removed, or if the child is no longer liable to be kept in custody, order him to be discharged.
- (4) The provisions of section 31 of the Indian Lunacy Act, 1912 and section 14 of the Lepers Act, 1898, as the case may be, shall apply to every child confined in a mental hospital or leper asylum under sub-section (1) or (2) after the expiration of the period for which he was ordered to be kept; and the time during which a child is confined in a mental hospital or leper asylum under that sub-section shall be reckoned as part of the period for which he may have been ordered by the court to be kept :

Provided that where the removal of a child due to unsoundness of mind or leprosy is immediately necessary it shall be open to the authorities of the institution in which the child is kept to apply to a court having jurisdiction under the Indian Lunacy Act, 1912, or the Lepers Act, 1898, as the case may be, for an immediate order of committal to mental hospital or a leper asylum until such time as the orders of the State Government can be obtained in the matter.

CHAPTER VII

APPROVED SCHOOLS AND OTHER INSTITUTIONS

- | | | |
|---|-----|--|
| Establishment of children and certification of schools governing school is fit pursuance of contributions as they | 48. | <p>(1) The State Government may establish and maintain school for the reception and youthful offenders.</p> <p>(2) The State Government may, on the application of or with the consent of the body of any school not established under sub-section (1) certify that such for the reception of children or youthful offenders to be sent there in this Act and may pay to the governing body of such school such may think fit for the maintenance thereof.</p> |
| Management section (1) of of school appointed by the State be deemed to be the | 49. | <p>(1) For the control and management of every school established under sub-section 48, a superintendent and a committee shall be Government, and such superintendent and committee shall manager of the school for the purposes of this Act.</p> <p>(2) Every school certified under sub-section (2) of section 48 shall be under the management of Such persons as may be approved by the State Government and the persons so approved shall be deemed to be the manager of the school for the purposes of this Act.</p> |
| Inspection of and such approved necessary to assist schools the Chief Inspector shall the State Government | 50. | <p>(1) The State Government may appoint a Chief Inspector of approved schools number of inspectors and assistant inspectors as it may consider the Chief Inspector; and every person so appointed to assist have such of the powers and duties of the Chief Inspector as may direct but shall act under the direction of the Chief Inspector.</p> |

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 51-55]

- (2) Every approved school shall, at least once in six months, be inspected by the Chief Inspector of approved schools or by an inspector or assistant inspector provided that where any such school is for the

reception of girls only and such inspection is not made by the Chief Inspector, the inspection shall, where practicable, be conducted by a woman.

Power of 51. An approved school shall be liable to inspection at all times and in all its inspectors departments by the Chief Inspector and by the inspector and assistant appointed for the purpose and by such persons as may be empowered by the State Government in that behalf.

Medical 52. Any registered medical practitioner empowered in this behalf by the State inspector Government may visit any approved school at any time with or Without notice to its manager in order to report the Chief Inspector on the health of the inmates and the sanitary condition of the school :

Provided that where any such school is for the reception exclusively of girls, a male registered medical practitioner shall not visit such school without giving previous notice to the manager thereof.

Power of State 53. The State Government, if dissatisfied with the condition, rules, management or Government to superintendence of an approved school may at any time by notice served on the withdraw manager of the school declare that the certificate of the school is withdrawn as certificate

from a date-specified in the notice and from that date the withdrawal of the certificate shall take effect and the school shall cease to be an approved school :

Provided that the State Government may, if it thinks fit, instead of so withdrawing the certificate, by notice served on the manager of the school, prohibit the admission of children or youthful offenders to the school for such time as may be specified in the notice or until the notice is revoked :

Provided also that before the issue. of notice under this section under the first proviso thereto a reasonable opportunity shall be given to the manager of the school to show cause why the certificate shall not be withdrawn or admission to the school shall not be prohibited as the case may be.

Resignation of 54. The manager of an approved school may, on giving six months notice in writing to certificate by the State Government through the Chief Inspector of their intention so to do, resign manager the certificates of the school and at the expiration of six months from the date of such notice unless before that time the notice is withdrawn, the resignation of the certificate shall take effect and the school shall cease to be an approved school.

Effect of 55. A child or youthful offender shall not be received in an approved school in withdrawal or pursuance of this Act after the. date of the receipt by the manager of the school of resignation of the notice of withdrawal of the certificate or after the date of a notice of resignation certificate of the certificate but the obligation hereinafter mentioned of the manager to teach, train, lodge, clothe and feed any child or youthful offender detained in the school at the respective dates aforesaid shall, except in so far as the State Government may otherwise direct, continue until the withdrawal or resignation of the certificate takes effect.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 56-60]

Disposal of 56. Where a school ceases to be an approved school, the children or youthful offender inmates on detained therein shall be either discharged absolutely or on such conditions as the withdrawal or

resignation of relating to certificates	State Government may impose or transferred by order of the State Government, to some other approved school in accordance with the provisions of the Act discharge and transfer.
Auxiliary any homes other such other as a be school or	57. The State Government may establish auxiliary homes for the reception of inmates or any classes of inmates of approved schools or may certify any home heretofore established or which hereafter may be established by any agency, and the certificates may be withdrawn or resigned in like manner certificate of a school and every such home shall for such purposes as may specified by the State Government be treated as part of the approved schools to which it is attached.
Liabilities Government may of manager be sent to them in child or youthful lodge, clothe and defamed in the school takes effect.	58. The manager of an approved school not established by the State decline to receive any child or youthful offender proposed to pursuance of this Act, but when they have once accepted any such offender they shall be deemed to have undertaken to teach, train, feed him during the whole period for which he is liable to be or until the withdrawal or resignation of the certificate of the school
Inspection of children institutions to be inspected for the from time to reception of of poor children premises.	59. (1) The State Government may cause any institution for the reception of poor supported wholly or partly by voluntary contributions, and not liable by or under the authority of Government to be visited and inspected time at all reasonable hours, by persons appointed by them for the purpose securing the health and welfare of the children and the sanitation of the (2) Any person so appointed shall have power to enter the institution at all reasonable hours and to make a complete inspection thereof and of all registers and documents relating thereto. Any person who obstructs him in the execution of his duties shall be liable on conviction to a fine not exceeding fifty rupees. (3) Where any such institution is carried on in accordance with the principles of any particular religious denomination the State Government shall, if so desired by the manager of the institutions, appoint, where practicable, a person of that denomination to visit and inspect that institution. (4) Where any such institution is for the reception of girls only, the inspection shall, ordinarily, be conducted by a woman.

CHAPTER VIII

POWERS AND FUNCTIONS OF COURTS HAVING JURISDICTION UNDER THE ACT

Juvenile Court district	60. (1) The State Government may establish a juvenile court for any local area in a and appoint a judge of such court.
----------------------------	---

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 61-64]

Powers of Juvenile Courts and shall deal	61. Save as other wise provided in this Act- (1) where a juvenile court has been established for and local area such court
---	---

other courts
deal
have power
III ; and

all cases in which a child is charged with the infringement of law and shall with and dispose of all other proceedings under this Act, but shall not to try any case in which an adult is charged with an offence under Chapter

- (2) where a juvenile court has not been established for any local area, no court other than courts empowered under section 60 to exercise the powers of a juvenile court shall have power to deal with any case in which a child is charged with the infringement of law or to deal with or dispose of any other proceedings under this Act.

Procedure
under this when a
propel; person to be sent magistrate is
any other manner in which the case not
empo-
his wered to pass
jurisdiction an order under
this Act
of a

62. (1) When any Magistrate not empowered to exercise the powers, of a court Act is of the opinion that a child brought before him is a to an approved school or to be dealt with in
may be dealt with under this Act, he shall record such opinion and submit proceedings and forward the child to the nearest Juvenile Court having
in the Case or to the nearest Magistrate empowered to exercise the powers court under this Act.

- (2) The court or the Magistrate to whom the proceedings are so submitted may make such further inquiry, if any, as the Court of Magistrate may think fit and may pass such orders as the Court or Magistrate might have passed if the child had originally been brought before or tried by him.

Joint trial of 63.
not being the child and
may be tried adult
Code of Criminal
tried by a
accordance

Where a child is charged with an offence together with any, other person a child then notwithstanding any thing contained in this Act the child top ether with the adult in accordance with the provisions of the Procedure, 1898, and nothing in this Act shall require the child to be Juvenile Court but the sentence, if any, awarded to the child shall be in with the provisions of this Act.

Presence of 64.
juvenile persons on
Juvenile courts

Save as provided in this Act, no person shall be present at any sitting of a court except-

- (a) the members and officers of the Court;
(b) the parties to the case before the court and other persons directly concerned in the case including the police officers and
(c) such other persons as the court specially authorizes to be present.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 65-70]

Withdrawal of 65.
court
persons from
the
Juvenile
Courts

If at any stage during the course of a trial of a case or proceedings, a juvenile considers it expedient in the interests of the child to direct any person including parent, guardian or the spouse of the child or the child himself to withdraw, the court shall be entitled to give such direction and thereupon such person shall withdraw. If any person refuses to withdraw, the court may take steps to remove him.

Dispensing 66. If at any stage during the course of the trial of a case or of child proceedings, the Court is satisfied that the attendance of a child is not essential for the purposes with of

attendance of
attendance
child

Withdrawal of 67.
to an

persons from
court when a
may
child is
legal
examined
such
as witness

the hearing of the case or proceeding the court may dispense with his

and proceed with the trial of the case in the absence of the child.

If at any stage during the course of the trial of a case or proceeding in relation

offence against, or any conduct, contrary to decency or morality, a child is
summoned as a witness, any court trying the case or holding the proceedings

direct such persons as it thinks fit, not parties to the case or proceeding, their

advisers and the officers concerned with the case of proceeding, to withdraw

persons shall then withdraw. If any person refuses to withdraw, the court may
take

steps to remove him.

Factors to be 68. For the purposes of any order which a court has to pass under this Act, the court

taken into
consideration
in passing
orders by
courts

shall have regard to the following factors -

(a) the -age of the child ;

(b) the circumstances in which the child is living ;

(c) the reports made by the Reformation Officer; and

(d) such other matters as may, in the opinion Of the court, require to be taken
into

consideration in the interest of the child;

Provided that where a juvenile delinquent is found to have infringed the law,
the above factors shall be taken into consideration after the court has recorded a
finding against the juvenile delinquent that he has infringed the law.

CHAPTER IX

GENERAL AND MISCELLANEOUS

Minimum age 69.
be

for committal
person

to approved
schools

A court shall not order a child or young offender under the age often years to

sent to an approved school unless for any reason, including the want of a fit

of his own religious persuasion who is willing to undertake the care of him, it is
satisfied that he cannot be dealt with otherwise.

Principles to 70. Every court in dealing with a child who is brought before it, either as needing care

be observed by
courts in
surroundings

dealing with
children and
young persons

or as an offender or otherwise shall have regard to the welfare of the child arid
shall in a proper case take steps for removing him from undesirable

and for securing that proper provision is made for his education and training.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 71-74]

Probation 71. (1) No newspaper report of any proceedings under this Act shall reveal the name,
address against or school, or include any particulars calculated to lead to the identification,
of any publication of child concerned in the proceedings, either as being the person against
or in respect of certain matter

whom the proceedings are taken or as being a witness therein nor shall any picture be in newspapers published in any newspaper as being or including a picture of any child so concerned in any such proceedings as aforesaid :

Provided that the State Government may, in any case, if satisfied that it is in the interests of justice so to do by order dispense with the restriction laid down by this section in such an extent as may be specified in the order.

- (2) Any person who publishes any matter in contravention of the provisions of this section shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.

Report of 72. The report of the Reformation Officer or any other report Considered by the court
Reformation under section 68, shall be treated as confidential.

Offi
cers

and

othe
r
repo
rts
to
be
conf
iden
tial

Presumption 73. (1) Where a person, whether charged with an offence or not, is brought before any court and other wise than for the purpose of giving evidence and it appears to the court that he determination is a child, the court may make due inquiry as to the age of that person and for that of age

a finding purpose, may take such evidence as may be forthcoming, and may record thereon, stating his age as nearly as may be.

- (2) A declaration by the court under the preceding sub-section as to the person brought before it being under the age of sixteen years shall for the purposes of this Act be final and no court shall in appeal or revision interfere with any such declaration.

Religious 74. (1) In determining the schools to which a child or youthful offender is to be sent under persuasion of this Act, the court shall ascertain the religious denomination of the child or youthful persons to offender and shall, if possible, select a school in which facilities are afforded for whom child is instruction in his religion.
committed

this Act, the
such
up in
specified in the

- (2) In determining the person to whose care a child shall be committed under court shall ascertain the religious denomination of a person who gives undertaking as seems to the court sufficient that the child will be brought accordance with the religion of the child and such religion shall be order.
- (3) In any case where a child has been committed pursuant to any such order to the care of a person who is not the religious denomination of the child or who has not given such undertaking as aforesaid, the court which made the order or any court of like jurisdiction shall, on the application of any person in that behalf and on its appearing that a fit person of the religious denomination of the child or who will give such undertaking as aforesaid

is willing to undertake the care of the child, make an order committing him to the care of such fit person.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 75-76]

- (4) When a child is committed to the care of an approved school in which facilities for instruction in his religion are not afforded or to a person who does not give an undertaking that the child entrusted to him will be brought up in his religion the court shall take an undertaking from such school or such person that the child shall not be brought up in any religion other than his own.
- (5) Where a child is boarded out, or where a child or youthful offender is permitted by licence to live with any other person, the manager of the school shall select for this purpose a person of the same religion as the child or youthful offender, as the case may be, if such person is available, and if no such person is available a person who gives a satisfactory undertaking that the child or youthful offender shall be brought up in accordance with the religion of such child or youthful offender, and if no such person is available then another person within the provisions of section 39 or 40 as the case may be.
- (6) When a child has been committed to the care of a person who gives an undertaking as aforesaid but the undertaking is not observed the child shall be liable to be removed from the care of such person and dealt with according to the provisions of sub-section (3) of this section.
- (7) Whenever any person interested in the religion of the child is informed of any attempt at conversion or tampering with his religion he may apply to the court for an enquiry and the court on being satisfied may issue an order removing the said child from the custody of such institution or person and handover the custody to another fit person or institution.

Continuation 75. For the purposes of this Act, a person shall be deemed to be a child, if at the time of proceedings against him under this Act or at the time of his arrest in connexion with which any proceedings are initiated against him under this Act, such person has not attained the age specified in clause (4) of section 2 : attaining specified age
 Act such person already such person anything to the
 Provided that if during the course of the proceedings under this person attains the age specified in the said clause, the proceedings commenced shall be continued and orders may be passed in respect of under this act as if such person was a child notwithstanding contrary in this Act.

Repeal 76. (1) With effect from the date the Chapters I, III, IV, V, VI, VII and VIII of this Act are Act No. V brought into force in any area the provisions of the Reformatory Schools Act, of 1898 1897, and sections 29-B and 399 of the Code of Criminal Procedure, 1898 shall cease to apply to such area.

Act no. VIII (2) Any youthful offender detained in any reformatory school in any area in pursuance of an order passed by a court under the Reformatory Schools Act, 1897, before the date on which the said Act ceases to apply to the said area under sub-section (1) shall, from such date, be deemed to have been ordered to be detained as if such Act no. VIII youthful offender was originally dealt with under this Act and the Reformatory of 1897 School in which he was detained shall be deemed to be an approved school established under this Act. Any order of detention or placing out on

licence of such
such date,
this Act and
offender

youthful offender under the Reformatory Schools Act, 1897, shall from
be deemed to be an order passed under the corresponding provision of
the provisions of this Act shall, so far as may be, apply to such youthful
accordingly.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951]

[Section 77-84]

77. The Tehri- Garhwal Rajya Bal Dhumrapan Nisedh Act, 1949 be, and is hereby,
repealed.

Bond taken 78. The provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898, Shall,
under Act no. so far as may be, apply to bonds under this Act.
V of 1898

Appeal and 79. (1) An appeal from an order made by a court under section 3, 29, 30, 31, 38, 40 or
41

revision shall lie-

(a) to the Sessions Judge if passed by a juvenile court, or a Magistrate of the



First Class specially empowered in his behalf under section 60; and

(b) to the High Court if passed by Sessions Judge.

(2) An order passed under the provisions of this Act and not subject to appeal under sub-section (1) may be revised by the High Court.

Period of 80. An appeal under sub-section (1) of section 79 shall be preferred--

limitation after
filing appeals
days

(a) where it is an appeal under clause (a) of the said sub-section, within thirty

of the date of order passed by the Juvenile Court or the Magistrate;

(b) where it is an appeal under clause (b) of the said sub-section, within 60
days

of the date of order passed by the Sessions Judge.

Saving of 81.
jurisdiction of
Civil Courts

Nothing in this Act shall be construed to affect, or in anyway derogate from, the
jurisdiction or authority of the court as defined in sub-section (5) of section 4 of
the Guardian and Wards Act, 1890.

Power to 82.
amend orders
which

Without prejudice to the powers of courts of appeal and revision, any custody
order or supervision order or probation order may be amended by the court
made the order in respect of the person named as custodian, supervisor or
Reformation Officer, the period of such duration' and such matters of detail as
may be specified therein.

Removal of 83.
disqualification
1860,
n pertaining
to convictions

Where a child is found to have infringed the law, the fact that he has been so
found shall not have any effect under section 75 of the Indian Penal Code,
or section 565 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or operate as a
disqualification for office or any employment or election under any law.

Control over 84.
custodian of
child
continue

Any person in whose earl' a, child is placed under the provisions of this Act, shall,
while the order is in force, have the like control over the child as if he were his
parent, and shall be responsible for his maintenance, and the child shall
in his care for the period stated by the court notwithstanding that he is claimed
by
his parent or any other person.

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 85-88]

Reformation 85. The Reformation Officers and all other persons authorized or entitled to act under
officers and any of the provisions of this Act shall be deemed to be public servants
within the person meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

au
th
ori
ze
d
to
be
de
e
m
ed
to
be

pu
bli
c
se
rv
an
ts

Protection of 86. No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person action taken for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act, save under this Act with the permission of the State Government.

Delegation of 87. All or any of the powers conferred by this Act on the State Government may be powers exercised or performed by such other officer and subject to such conditions as the State Government may, by notification specify in that behalf.

Rules 88. (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters namely :

(a) contents of order committing children or youthful offenders to approved schools or to the care of a fit person ;

(b) matters incidental to the appointment, resignation and removal of Reformation Officers and the remuneration and expenses payable to them ;

(c) the duties of Reformation Officers;

(d) the, conditions on which societies and institutions may be 'recognized by the State Government for providing Reformation Officers;

(e) the manner in which youthful offenders may be released on probation;

(f) the conditions subject to which a youthful offender may be released on licence and the form and conditions of such licence ;

(g) establishment and maintenance of approved schools and auxiliary homes and the certification of such schools as approved schools and of auxiliary homes ; (h) the management of approved schools and auxiliary homes;

(i) the appointment of visitors and their tenure of office;

(j) the inspection of approved schools;

(k) the maintenance, educational and industrial, religious or moral or other training of the inmates of approved schools ;

(l) conveyance of youthful offenders and children to approved schools;

(m) the grant of permission to inmates of approved school to absent themselves for short periods ;

(n) visits to and communication with inmates of approved schools;

[The Uttar Pradesh Children Act, 1951] [Section 88]

(o) the punishment for offences committed by inmates of approved schools;

(P) Inspection of institutions referred to in section 57 ;

(q) the manner of detention of children under arrest, re-manded or committed for trial ;

(r) the procedure to be adopted in Juvenile courts ;

(s) the procedure to be adopted in any case or inquiry under this Act before any court other than a juvenile court :

(t) the manner in which a child may be committed to the care of a relative or other fit person, and the duties of such persons and the supervision of such children ;

(u) the contribution by parents and other persons liable to maintain children and youthful offenders ;

(v) the boarding out of children and the licensing and supervision of children and youthful offenders and the submission of reports regarding them.

[See section 2 on first page of this Act]

S. no.	Name of districts	Sections enforced	Date of enforcement	No. and date of
1	2	3	4	5
1	Kanpur, Allahabad, Agra, Varanasi, Lucknow and Bareilly.	All sections	June 23, 1962	627 (P)/36·S.W--576 dated June 20,1962.
2	Gorakhpur, Ghazipur, Mirzapur, Faizabad, Unnao, Etawah, Jhansi, Mathura, Etah, Meerut, Saharanpur, DehraDun, Tehri-Garhwal, Pauri-Garhwal, NainiTal and Almorah,	-Ditto-	June 23, 1962	627 (P) {iii}·36·S.W-576 (P)-61, dated June 20, 1962
3	Faizabad, Jhansi and Meerut (p)	section 3 to 6, 23 to 65, 76 and 78 to 88.	July 24, 1965	432(p)/36.S.W-48 dated july 12, 1965
4	Moradabad	All section	November 11,1967	4995/36.S.W-32 (p)-67, dated October 30, 1967
5	(a) Basti	Ditto-	September 7, 1968	4670/36.S.W-32 (p)-67, dated August 29, 1968
	(b) Saharanpur and Naini Tal (p)-67,	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88	September 7,1968	4670(1)/36.S.W-32 dated August 29,1968
6	Ballia	All section	October 11, 1969	4546/36.S.W-32 (p)-67, dated Sept-25,1969
7	Mirzapur	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88.	October 11, 1969	4546/36.S.W-32 (p)-67, dated Sept-25,1969
8	Shahjahanpur and Hardoi	All section	December 11, 1971	5246/36.S.W-32 (p)-67, dated Nov-23,1971
9	Etawah and Ghazipur	section 3 to 6, 23 to 76 and 78 to 88.	December 11, 1971	5246/36.S.W-32 (p)-67, dated Nov-23,1971